"वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए राज्य विद्युत कंपनियों का कार्य-निष्पादन"

पर

रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्राक्कथन

राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी पीएफसी की रिपोर्ट के चौदहवें संस्करण को शेयर करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक प्राचलों पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन का विस्तृत अध्ययन है और पीएफसी द्वारा वार्षिक प्रकाशित की जा रही है।

मुझे विश्वास है कि पिछले वर्ष की तरह रिपोर्ट राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन का गहन विश्लेषण उपलब्ध कराने और विद्युत क्षेत्र में शुरू की गई विभिन्न पहलों के प्रभाव की दृष्टि से सभी पणधारकों की आशाओं को पूरा करेगी।

मैं रिपोर्ट तैयार करने में विद्युत मंत्रालय को उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए वार्षिक लेखे और अन्य इनपुट उपलब्ध कराने में बहुमूल्य सहयोग देने के लिए मैं सभी विद्युत यूटिलिटियों का आभार व्यक्त करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ।

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विषय सूची

	प्राक्कथन	**पृष्ठ**
	कार्यकारी सारांश	**i**
	खण्ड क	
	प्रस्तावना	
I.	पृष्ठभूमि	**viii**
	खण्ड ख	
	सूचना की उपलब्धता की पद्धति और स्थिति	
I.	स्कोप और कवरेज	**xix**
II.	इनपुट	**xix**
III.	प्रचालनों में परिवर्तन के संदर्भ में सूचना	**xx**
IV.	पद्धति	**xxii**
	तालिका I - वार्षिक लेखा की स्थिति	**xxiii**
	तालिका II – विवरण	**xxvi**
	खण्ड ग	
अध्याय 1	***वित्तीय प्राचलों संबंधी निष्पादन***	
1.0	प्रस्तावना	**1-i**
1.1	विद्युत की बिक्री से राजस्व	**1-i**
1.2	यूटिलिटियों की आय, व्यय और लाभप्रदता	**1-ii**
1.3	यूटिलिटियों का राज्यवार समग्र वित्तीय निष्पादन	**1-iv**
1.4	बुक और प्राप्त सब्सिडी	**1-ix**
1.5	एसीएस और एआरआर के बीच अंतर	**1-x**
1.6	व्यय का ब्यौरा	**1-xi**
अध्याय 2	***वित्तीय स्थिति***	
2.0	प्रस्तावना	**2-i**
2.1	पूंजी संरचना	**2-i**
2.2	इक्विटी और निवल मूल्य	**2-i**
2.3	कुल बकाया ऋणा	**2-ii**
2.4	निवल अचल परिसंपत्तियां और पूंजी डब्ल्यूआईपी	**2-ii**
2.5	पूंजी व्यय	**2-ii**

2.6	विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य	2-iii
2.7	विद्युत की खरीद के लिए ऋण	2-iv
अध्याय 3	**लाभप्रदता और पूंजी संरचना अनुपात का विश्लेषण**	
3.0	प्रस्तावना	3-i
3.1	निवल मूल्य पर प्रतिफल	3-i
3.2	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	3-i
3.3	ऋण इक्विटी अनुपात	3-ii
अध्याय 4	**वास्तविक पैरामीटर संबंधी निष्पादन**	
4.0	प्रस्तावना	4-i
4.1	संस्थापित क्षमता	4-i
4.2	उत्पादन	4-i
4.3	विद्युत की खरीद	4-ii
4.4	विद्युत की बिक्री	4-ii
4.5	सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि	4-ii
अध्याय 5	**खपत पैटर्न और राजस्व के लिए योगदान का विश्लेषण**	
5.0	प्रस्तावना	5-i
5.1	विद्युत की बिक्री	5-i
5.2	विश्लेषण में कवरेज	5-i
5.3	कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री	5-ii
5.4	औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री	5-ii
5.5	क्रॉस सब्सिडी	5-ii
5.6	उपभोक्ता श्रेणीवार ब्यौरा बिक्री	5-iii

संक्षिप्तियों की सूची

अनुबंध की सूची – अध्याय I

वित्तीय पैरामीटर संबंधी निष्पादन

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध सं.	पृष्ठ सं.
1.	रु. करोड़ और एमकेडब्ल्यूएच में विद्युत की बिक्री – राज्यवार	1.1.0	1
2.	आय, व्यय और लाभप्रदता के लिए ▪ सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियां ▪ जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियां	1.2.1 से 1.2.3 1.3.1 से 1.3.3	2-7 8-10
3.	कुल राजस्व के लिए बुक सब्सिडी, प्राप्त सब्सिडी, बुक सब्सिडी का % ▪ सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियां ▪ जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियां	1.4.1 1.4.2	11-12 13
4.	▪ लाभ और हानि का राज्यवार ब्यौरा ▪ राज्यवार लाभ/(हानि) सकल राजस्व के % के रूप में	1.5.1 से 1.5.3 1.5.4 से 1.5.6	14-16 21-23
5.	▪ एसीएस, एआरआर और अंतर (रु./केडब्ल्यूएच) ▪ अनबंडल्ड राज्यों के लिए राज्यवार अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)	1.6.1 से 1.6.3 1.6.4	24-26 35-36
6.	व्यय का ब्यौरा – सभी यूटिलिटियां	1.7.1 से 1.7.3	37-45
7.	लागत संरचना – सभी यूटिलिटियां	1.8.1 से 1.8.3	46-54

अनुबंध की सूची – अध्याय II

वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध सं.	पृष्ठ सं.
1.	कुल नियोजित पूंजी	2.1.0	59-60
2.	इक्विटी, रिजर्व, सकल लाभ/हानि और निवल मूल्य ▪ उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियां ▪ कुल यूटिलिटियां	 2.2.1 2.2.2	 61-62 63-64
3.	नियोजित पूंजी का ब्यौरा	2.3.1 से 2.3.3	65-70
4.	कुल बकाया ऋण ▪ उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियां ▪ सभी यूटिलिटियां	 2.4.1 2.4.2	 75-76 77-78
5.	निवल अचल परिसंपत्तियां	2.5.0	79-80
6.	पूंजी डब्ल्यूआईपी (रु.करोड़) ▪ उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियां ▪ सभी यूटिलिटियां	 2.6.1 2.6.2	 81-82 83-84
7.	पूंजी व्यय (रु.करोड़)	2.7.1	85-86
8.	विद्युत की बिक्री के लिए ऋण (रु.करोड़ और दिनों की संख्या) ▪ उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियां ▪ जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियों के लिए ऋण	2.8.1 2.8.2	87-88 89
9	विद्युत की खरीद के लिए प्राप्तकर्ता (रु.करोड़ और दिनों की संख्या) ▪ उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियां	2.9.1	90-91

अनुबंध की सूची – अध्याय III

लाभप्रदता और पूंजी संरचना अनुपात का विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध सं.	पृष्ठ सं.
1.	आरओई और आरओएनडब्ल्यू (बुक और प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	3.1.0	92-94
2.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)	3.2.0	95-97
3.	ऋण इक्विटी अनुपात	3.3.0	98-99

अनुबंध की सूची – अध्याय IV

तकनीकी पैरामीटर

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध सं.	पृष्ठ सं.
1.	कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	4.1.0	100
2.	संस्थापित क्षमता का ब्यौरा (मेगावाट) ▪ थर्मल, हाइडल, गैस तथा अन्य	4.1.1 से 4.1.3	101-103
3.	कुल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच)	4.2.0	110
4.	उत्पादन का ब्यौरा (एमकेडब्ल्यूएच) ▪ थर्मल, हाइडल, गैस तथा अन्य	4.2.1 से 4.2.3	111-113
5.	थर्मल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच) और पीएलएफ (%)	4.3.0	120
6.	▪ आनुषंगिक खपत (एमकेडब्ल्यूएच) तथा कुल उत्पादन का % ▪ प्रमुख हाइडल उत्पादन वाली यूटिलिटियों के लिए आनुषंगिक खपत	4.4.1 4.4.2	121 122
7.	सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए विद्युत खरीद (एमकेडब्ल्यूएच)	4.5.0	123
8.	सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों द्वारा विद्युत की बिक्री	4.6.0	124
9.	बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा तथा एटीएण्डसी हानियां (%) ▪ एसईबी तथा विद्युत विभागों के लिए ▪ डिस्कॉम ▪ सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली सभी यूटिलिटियों के लिए	4.7.1 4.7.2 4.7.3	125 126-127 128-129

अनुबंध की सूची – अध्याय V

खपत पैटर्न और राजस्व के लिए योगदान का विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध सं.	पृष्ठ सं.
1.	उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियों द्वारा विद्युत की बिक्री रुपये और एमकेडब्ल्यूएच में	5.1.0	130-131
2.	उपभोक्ता श्रेणीवार बिक्री का विवरण ▪ एमकेडब्ल्यूएच में विद्युत की बिक्री ▪ रु.करोड़ में बिक्री ▪ रु./केडब्ल्यू में राजस्व	5.2.1 से 5.2.3 5.2.4 से 5.2.6 5.2.7 से 5.2.9	132-137 138-143 144-149
3.	बिक्री के % का ब्यौरा – उपभोक्ता श्रेणीवार ▪ खपत पद्धति – वर्षवार ▪ राजस्व का ब्यौरा – वर्षवार	5.3.1 से 5.3.3 5.3.4 से 5.3.6	150-155 156-161
4.	कृषि और औद्योगिक खपत का विवरण ▪ एमकेडब्ल्यूएच में विद्युत की बिक्री ▪ रु.करोड़ में बिक्री ▪ रु./केडब्ल्यू में राजस्व	5.4.1 5.4.2 5.4.3	162-163 164-165 166-167
5.	कृषि और औद्योगिक खपत की % बिक्री का ब्यौरा ▪ एमकेडब्ल्यूएच कुल बिक्री का % ▪ रु.करोड़ कुल बिक्री का %	5.5.1 5.6.1	168-169 170-171

कार्यकारी सार

- इनपुट के रूप में प्रयोग किए दस्तावेजों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	सूचना का स्रोत (यूटिलिटियों की संख्या)			
	यूटिलिटियों की कुल संख्या*	लेखा परीक्षित लेखे	अनंतिम	संसाधन योजना/सूचना/ प्रशुल्क याचिका
2013-14	98^	91	1	6
2014-15	101	87	8	6
2015-16	101	73	20	8

* पुनर्संरचना और सूचना की उपलब्धता के परिणामस्वरूप बनी नई यूटिलिटियों का ब्यौरा खंड ख पद्धति पैरा III में दिया गया है।

^ केएसइबी, जेएसईबी और मणिपुर पीडी, जो वर्ष के भाग के प्रचालित थी, शामिल नहीं हैं।

विद्युत की बिक्री

- उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की बिक्री करने वाली एसईबी, राज्य विद्युत विभाग और डिस्कॉमों के लिए विद्युत की बिक्री से कुल राजस्व 2014-15 में 3,71,959 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015-16 में 3,92,398 करोड़ रुपये हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 5.49% की वृद्धि दर्शाता है।
- इन यूटिलिटयों द्वारा बेची गई कुल ऊर्जा 2014-15 में 7,53,436 एमकेडब्ल्यूएच और 2015-16 में 7,89,512 एमकेडब्ल्यूएच थी जो वर्ष-दर-वर्ष 4.79% की वृद्धि दर्शाता है।

यूटिलिटियों का समग्र वित्तीय निष्पादन

- सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों की कुल खाता हानि (प्रोद्भूत आधार पर) 2014-15 में 66,022 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015-16 में 89,603 करोड़ रुपये हो गई। महाराष्ट्र में यूटिलिटियों को 2014-15 में 1,834 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 2015-16 में 28,029 करोड़ रुपये की हानि हुई। तत्पश्चात् अचल परिसम्पत्तियों के संशोधित मूल्य के साथ ट्रांसफर स्कीम में संशोधन से महाराष्ट्र की यूटिलिटियों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभ और हानि खाता विवरणी में मानी गई असाधारण मदों के रूप में वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2014-2015 की अवधि के लिए पुन:मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया है। अत: महाराष्ट्र की यूटिलिटियों के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए खाता हानि असामान्य रूप से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2014-2015 की अवधि के लिए सभी

यूटिलिटियों द्वारा प्रभारित मुल्यह्रास 27,588 करोड़ रुपये है। यदि इस साधारण मद को छोड़ दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए महाराष्ट्र में सभी युटिलिटियों के लिए सकल खाता हानि 441 करोड़ रुपये होगी। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए क्षेत्र के लिए सकल खाता हानियां 62,015 करोड़ रुपये होगी।

- सकल आधार पर राज्य, जिन्होंने वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए लाभ अर्जित किया है, वे दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मिजोरम और पुडुच्चेरी हैं।
- राज्यों के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्र पुडुच्चेरी की सभी यूटिलिटियों के लिए सकल खाता हानियां सकल राजस्व के अनुपात (सब्सिडी को छोडकर) के रूप में 2014-15 में 16.44% से बढ़कर 2015-16 में 21.09% हो गई। इसी प्रकार सकल राजस्व के प्रतिशत (सब्सिडी को छोड़कर) के रूप में प्राप्त सब्सिडी के आधार पर कुल हानियां 2014-15 में 17.04% से बढ़कर 2014-15 में 21.65% हो गई।
- निवल मूल्य ऋणात्मक बना रहा परन्तु 31 मार्च 2015 की स्थति के अनुसार 1,17,534 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 63,154 करोड़ रुपये हो गया। ट्रांसफर स्कीम में संशोधन के बाद महाराष्ट्र की यूटिलिटियों की अचल परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य में शेयर पूंजी के यप में एक तरफ वृद्धि हुई बताई गई है। अत: 31 मार्च 2016 की स्थति के अनुसार महाराष्ट्र में यूटिलिटियों की साम्या पूंजी में 31 मार्च 2015 की स्थति के अनुसार साम्य पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई। इससे 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार सभी यूटिलिटियों के निवल मूल्य में समग्र रूप से सुधार हुआ है।
- सभी यूटिलिटियों के लिए कुल बकाया ऋण 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 6,70,708 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2016 की स्थति के अनुसार 7,26,721 करोड़ रुपये हो गया।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियों का वित्तीय निष्पादन

- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटयों के लिए कुल खाता हानि 2014-15 में 54,558 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015-16 में 63,321 करोड़ रुपये हो गई। एमएसईडीसीएल को 2014-15 में 366 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14,979 करोड़ रुपये की हानि हुई। तत्पश्चात् अचल परिसम्पत्तियों के संशोधित मूल्य के साथ ट्रांसफर स्कीम में संशोधन से महाराष्ट्र की यूटिलिटियों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभ और हानि खाता विवरणी में मानी गई असाधारण मदों के रूप में वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2014-2015 की अवधि के लिए पुन:मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास प्रभारित किया है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 से वित्तीय वर्ष 2014-2015 की अवधि के लिए प्रभारित मूल्यह्रास 12,414 करोड़ रुपये है। यदि इस साधारण मद को छोड दिया जाता है तो वित्तीय

वर्ष 2015-16 के लिए एमएसईडीसीएल की खाता हानि 2,565 करोड़ रुपये होगी। इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए सकल खाता हानियां 50,907 करोड़ रुपये होगी।

- उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटयों द्वारा सब्सिडी 2014-15 में 47,965 करोड़ रूपए से बढ़कर 2015-16 में 57,680 करोड़ रूपए हो गई। विद्युत की बिक्री राजस्व की प्रतिशतता के रूप में यूटिलिटियों द्वारा बुक सब्सिडी 2014-15 में 12.90 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 14.70 प्रतिशत हो गई।
- यूटिलिटियों द्वारा बुक सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों द्वारा जारी सब्सिडी 2014-15 में 95.04 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2015-16 में 95.84 प्रतिशत हो गई। त्रिपुरा (58%), असम (73%), पंजाब (84%), कर्नाटक (86%), तेलंगाना (93%) और उत्तर प्रदेश (98%) को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अपनी संबंधित वितरण यूटिलिटियों द्वारा बुक सम्पूर्ण सब्सिडी लगभग जारी कर दी है।
- प्राप्त सब्सिडी आधार पर अन्तर 2013-14 में 0.78 रूपए/केडब्ल्यूएच से घटकर 2014-15 में 0.58 रूपए/केडब्ल्यूएच हो गया परन्तु 2015-16 में बढ़कर 0.65 रूपए/केडब्ल्यूएच हो गया।
- विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य (दिनों की संख्या) 2014-15 के दौरान 95 दिनों से बढ़कर 2015-16 में 102 दिन हो गया।
- निवल मूल्य ऋणात्मक बना रहा परन्तु 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 2,38,307 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार 2,16,125 करोड़ रूपए हो गया। ट्रांसफर स्कीम में संशोधन के बाद महाराष्ट्र की यूटिलिटियों की अचल परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य में शेयर पूंजी के रूप में एक तरफ वृद्धि हुई बताई गई है। अत: 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार एमएसईडीसीएल की साम्य पूंजी में 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार साम्य पूंजी की तुलना में 31 मार्च 2016 की स्थिति में पर्याप्त वृद्धि हुई। इससे 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के निवल मूल्य में समग्र रूप से सुधार हुआ है।
- कुल बकाया ऋण 31, मार्च 2015 की स्थिति के अुनसार 4,03,816 करोड़ रूपए से बढ़कर 31, मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 4,21,978 करोड़ रूपए हो गया।
- सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए समग्र एटीएंडसी हानियां (%) 2014-15 में 25.72% से बढ़कर 2015-16 में 23.98% हो गई।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाले यूटिलिटियों का ब्यौरा

		2013-14	2014-15	2015-16
प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	रु. करोड़	(67,962)	(54,558)	(63,321)
राजस्व के रूप में प्रोद्भूत आधार पर % लाभ/(हानि)	%	*(19.10)*	*(13.58)*	*(14.90)*
प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	रु. करोड़	(68,257)	(56,939)	(65,718)
राजस्व के रूप में प्रोद्भूत आधार पर % लाभ/(हानि)	%	*(19.19)*	*(14.18)*	*(15.47)*
बुक सब्सिडी	रु. करोड़	37,052	47,965	57,680
प्राप्त सब्सिडी	रु. करोड़	36,758	45,584	55,283
बुक सब्सिडी के % के रूप में सब्सिडी	%	11.22	12.90	14.70
बुक सब्सिडी के % के रूप में प्राप्त सब्सिडी	%	99.21	95.04	95.84
एसीएस	रु./केडब्ल्यूएच	5.19	5.21	5.43
बुक सब्सिडी आधार पर औसत राजस्व	रु./केडब्ल्यूएच	4.42	4.65	4.80
बुक सब्सिडी आधार पर अंतर	रु./केडब्ल्यूएच	0.77	0.56	0.63
प्राप्त सब्सिडी आधार पर औसत राजस्व	रु./केडब्ल्यूएच	4.41	4.62	4.78
सब्सिडी आधार पर अंतर	रु./केडब्ल्यूएच	0.78	0.58	0.65
विद्युत क्रय (स्वयं उत्पादन सहित)	एमयू	8,89,394	9,67,728	10,05,159
विद्युत क्रय लागत (उत्पादन लागत सहित)	रु. करोड़	3,52,555	3,96,789	4,14,625
कुल व्यय के % के रूप में विद्युत क्रय लागत	%	76.37	78.76	75.97
सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां	%	22.62	25.72	23.98
विद्युत बिक्री के लिए ऋण	रु. करोड़	83,094	1,00,891	1,14,953
विद्युत बिक्री के लिए ऋण	दिनों की संख्या	90	95	102
निवल मूल्य	रु. करोड़	(2,07,611)	(2,38,307)	(2,16,125)
तुलन पत्र के अनुसार संचित हानियां	रु. करोड़	(3,06,317)	(3,58,581)	(4,13,933)
कुल बकाया ऋण	रु. करोड़	3,65,066	4,03,816	4,21,978
राज्य सरकार ऋण	रु. करोड़	29,626	42,450	1,09,244
कुल ऋण के % के रूप में राज्य सरकार ऋण	%	8.12	10.51	25.89

राज्य विद्युत क्षेत्र में सभी यूटिलिटियों का सार

		2013-14	2014-15	2015-16
प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	रु. करोड़	(66,228)	(66,022)	(89,603)
प्रोद्भूत आधार पर राजस्व का % लाभ/(हानि)	%	*(18.62)*	*(16.44)*	*(21.09)*
प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	रु. करोड़	(66,536)	(68,418)	(92,012)
प्राप्त सब्सिडी आधार पर राजस्व का % लाभ/(हानि)	%	*(18.70)*	*(17.04)*	*(21.65)*
निवल राशि	रु. करोड़	(92,820)	(1,17,534)	(63,154)
तुलन पत्र के अनुसार संचित हानियां	रु. करोड़	(3,42,439)	(4,07,271)	(4,85,922)
कुल बकाया ऋण	रु. करोड़	5,88,046	6,70,708	7,26,721
राज्य सरकार ऋण	रु. करोड़	43,948	57,137	1,31,568
राज्य सरकार ऋण कुल ऋण का %	%	7.47	8.52	18.10

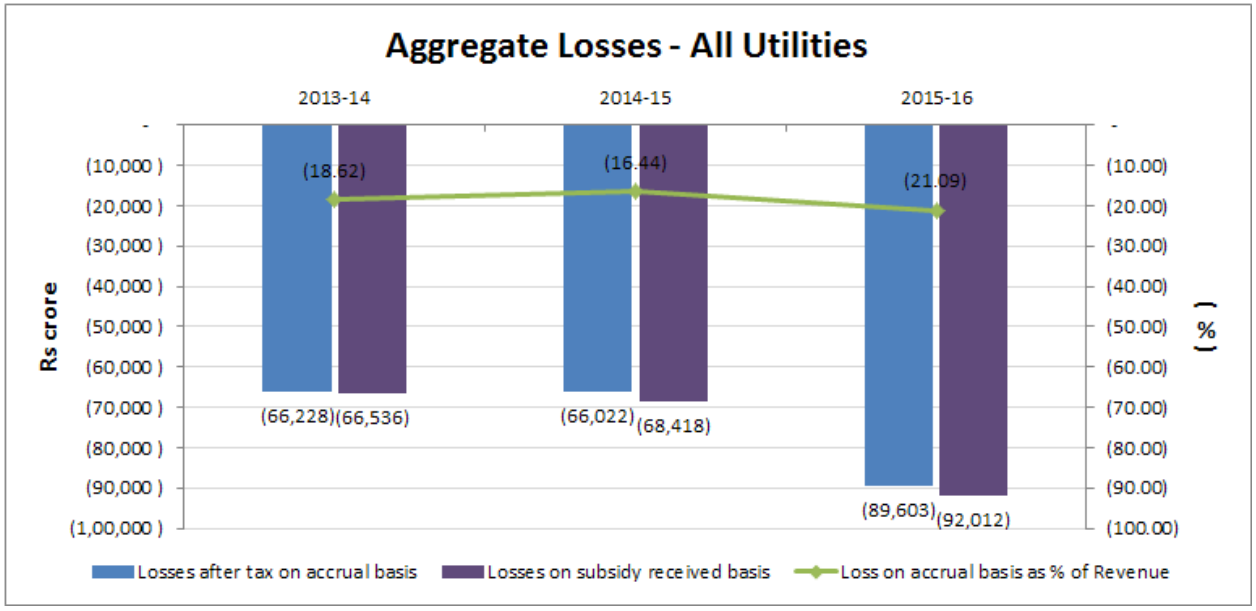

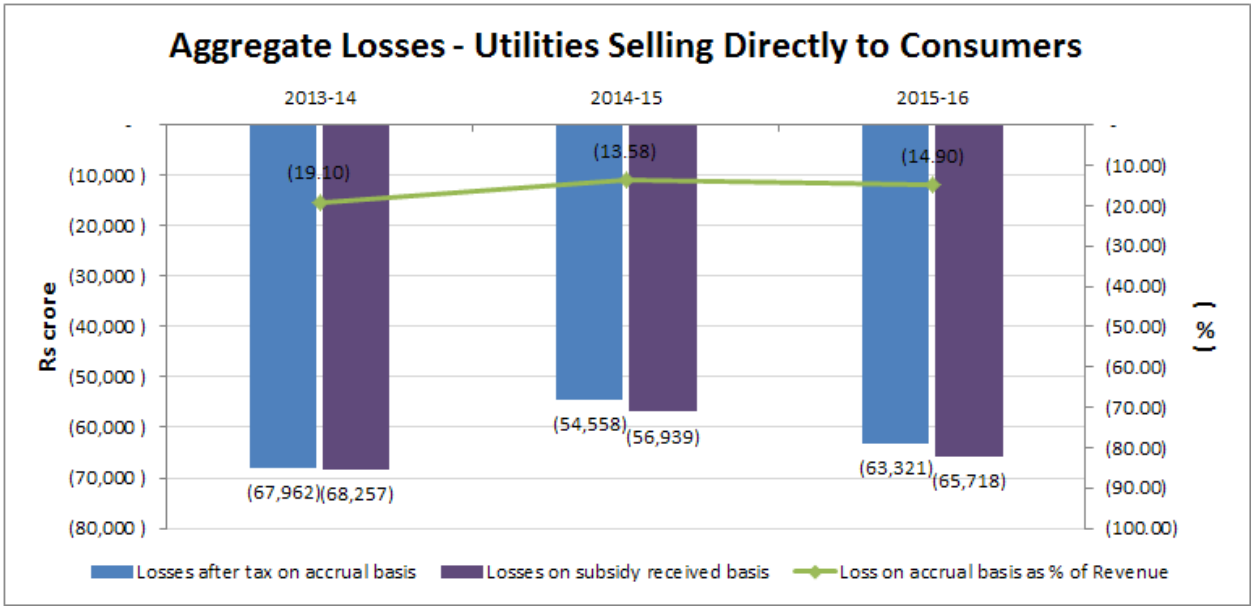
Aggregate Losses - Utilities Selling Directly to Consumers
2013-14
2014-15
2015-16
Rs crore
(%)
(19.10)
(13.58)
(14.90)
(67,962)
(68,257)
(54,558)
(56,939)
(63,321)
(65,718)
Losses after tax on accrual basis
Losses on subsidy received basis
Loss on accrual basis as % of Revenue

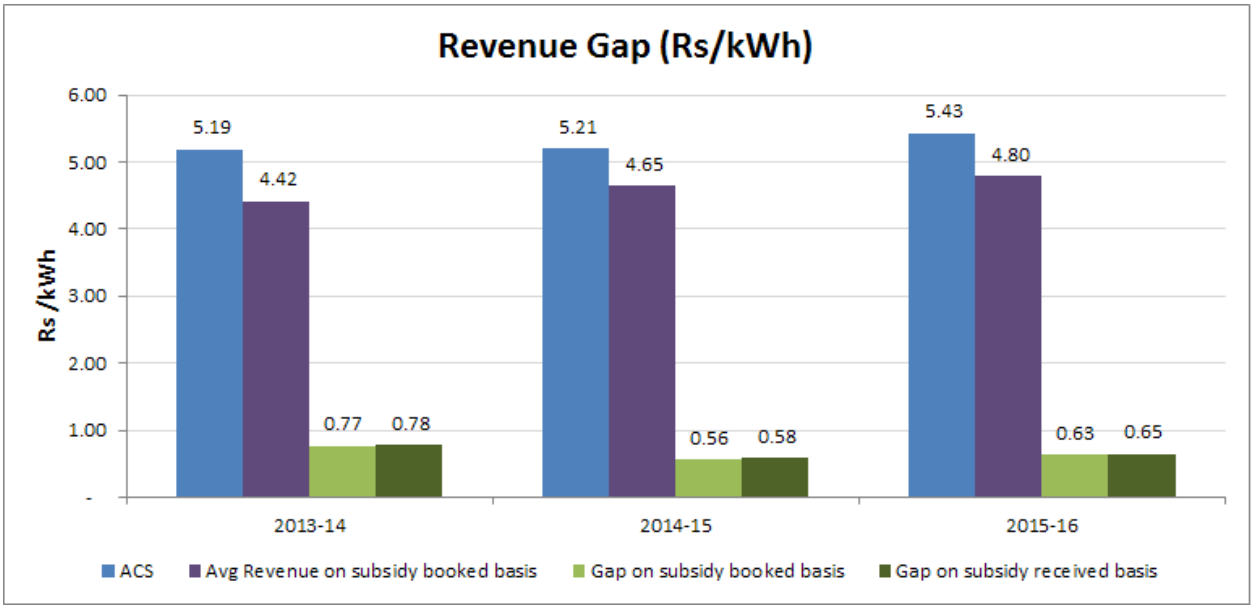
Revenue Gap (Rs/kWh)
Rs /kWh
5.19
4.42
0.77
0.78
5.21
4.65
0.56
0.58
5.43
4.80
0.63
0.65
2013-14
2014-15
2015-16
ACS
Avg Revenue on subsidy booked basis
Gap on subsidy booked basis
Gap on subsidy received basis

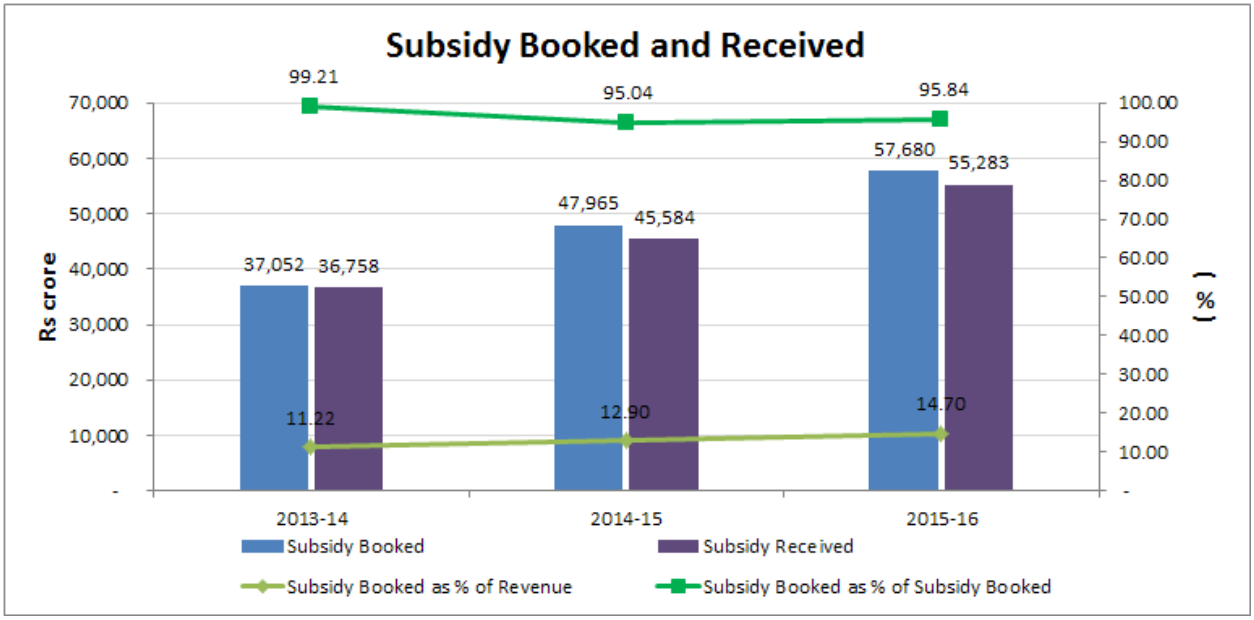
Subsidy Booked and Received
Rs crore
(%)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-
99.21
95.04
95.84
37,052
36,758
47,965
45,584
57,680
55,283
11.22
12.90
14.70
2013-14
2014-15
2015-16
Subsidy Booked
Subsidy Received
Subsidy Booked as % of Revenue
Subsidy Booked as % of Subsidy Booked

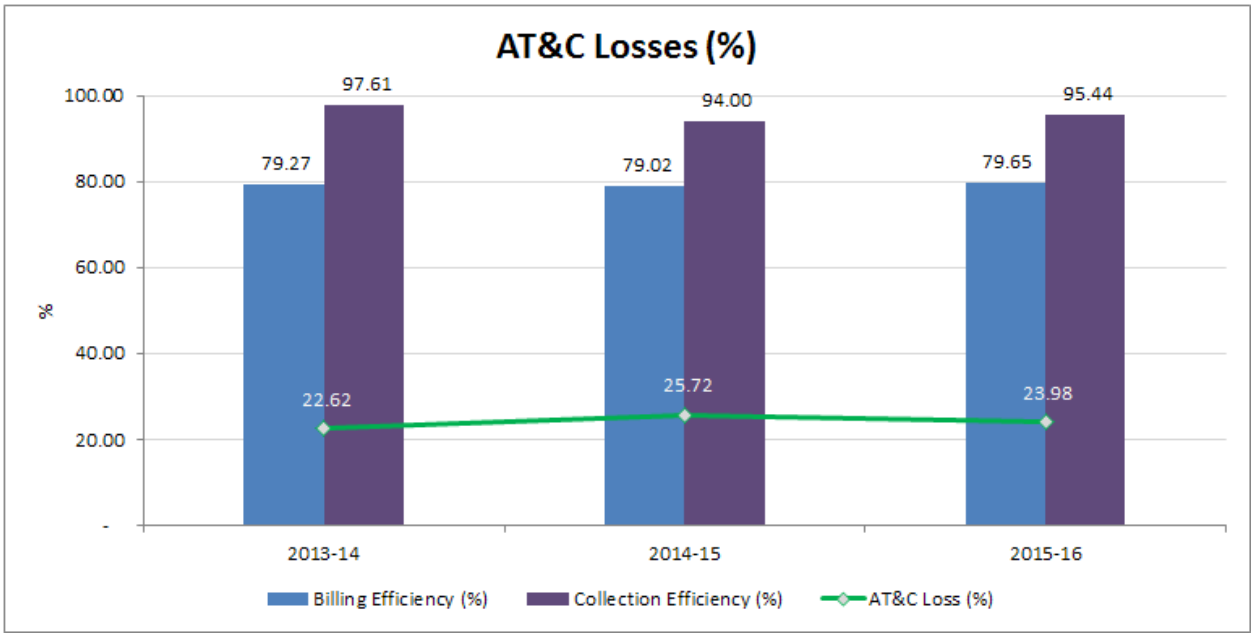
AT&C Losses (%)
%
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
97.61
94.00
95.44
79.27
79.02
79.65
22.62
25.72
23.98
2013-14
2014-15
2015-16
Billing Efficiency (%)
Collection Efficiency (%)
AT&C Loss (%)

खण्ड क

प्रस्तावना

1.0 पृष्ठभूमि

ऊर्जा जीवनस्तर में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण आदान होने के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक कार्यकलापों में विस्तार तथा विद्युत की पहुँच में वृद्धि होने से बढ़ती हुई आबादी ने ऊर्जा की मांग बढ़ा दी है।

तेजी से विकास करने तथा निजी क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के उद्देश्य से सक्षम फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये कदम निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं।

2.0 सभी के लिए विद्युत

भारत सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ एक संयुक्त पहल करने का निर्णय लिया है। कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घंटे राज्यों द्वारा उनकी मांग के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मौजूदा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 तक सभी अनकनेक्टेड उपभोक्ताओं को विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराना है।

राज्य में 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने के लिए पहलों में मुख्य रूप से निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

i. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मौजूदा उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) 24X7 आपूर्ति। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति राज्यों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
ii. सभी अनकनेक्टेड घरों को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक समयबद्ध तरीके से विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराई जानी है।
iii. पर्याप्त क्षमता अभिवृद्धि आयोजना तथा भविष्य के लिए विद्युत मांग में प्रक्षेपित वृद्धि को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर विभिन्न स्रोतों से विद्युत के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना।

iv. मौजूदा तथा भावी उपभोक्ताओं की मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

v. सहमत हानि कमी ट्रेजेक्ट्री के अनुसार एटीएण्डसी हानियों की कमी सुनिश्चित करना।

vi. ऊर्जा मिक्स इष्टतमीकरण, विद्युत प्रापण लागतों में कमी, प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार जैसे उपाय।

vii. मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादन संयंत्रों, पारेषण और वितरण अवसंरचना को समय पर चालू करने की निगरानी करना।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पीएफए रोड मैप दस्तावेज विद्युत मंत्रालय/सीईए के समग्र मार्गदर्शन में परामर्शदाता (क्रिसल, मेकॉन और डेलॉयट) द्वारा तैयार किए गए थे और विद्युत मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं।

सभी के लिए 24x7 विद्युत रोड मैप के लिए निगरानी करने योग्य प्राचलों की प्रगति/उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने सेंट्रल प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) गठित की है।

3.0 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

राज्य स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर, 2015 को उदय की शुरुआत की थी।

स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना;

(ii) विद्युत की लागत में कमी करना;

(iii) वित्तीय टर्नअराउंड - डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी करना;

(iv) राज्य वित्त के अनुरूप डिस्कॉमों के लिए वित्तीय अनुशासन लागू करना।

उदय की विशेषताएं

- राज्य 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम ऋणों का 75% लेंगे, दो वर्षों - 2015-16 में 50% तथा 2016-17 में 25%।
- भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के वित्तीय घाटे (एफआरबीएम सीमा) की गणना में उपरोक्त स्कीम के अनुसार राज्यों द्वारा लिए गए ऋण को शामिल नहीं करेगी।
- राज्य उचित सीमा तक डिस्कॉम ऋण धारण करने वाले संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) के लिए बाजार अथवा सीधे गैर-एसएलआर बॉण्ड, जिसमें एसडीएल बॉण्ड शामिल हैं, जारी करेंगे।

- राज्य द्वारा नहीं लिए गए डिस्कॉम ऋण ब्याज दर, जो बैंक ब्याज दर +0.1% से अधिक नहीं होगी, के साथ ऋणों या बॉण्डों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा परिवर्तित किए जाएंगे। विकल्पत:, यह ऋण डिस्कॉम द्वारा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से जारी हो सकते हैं क्योंकि प्रचलित बाजार दरों, जो समान अथवा बैंक आधार दर +0.1% से कम पर राज्य गारंटीशुदा डिस्कॉम बॉण्ड हैं।
- उदय सभी राज्यों के लिए वैकल्पिक है। तथापि, राज्यों को यथाशीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि लाभ निष्पादन पर निर्भर करते हैं।
- प्रचालनात्मक सुधारों के परिणाम निम्नलिखित सूचकों के जरिए मापे जाएंगे:
  - विद्युत मंत्रालय (एमओपी) तथा राज्यों द्वारा अंतिम रूप दी जाने वाली हानि कमी ट्रेजेक्ट्री के अनुसार 2018-19 तक एटीएण्डसी हानि में 15% तक कमी करना; तथा
  - आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच अंतर में कमी विद्युत मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के अनुसार 2018-19 तक शून्य करना।

- उदय के लाभ प्राप्त करने के लिए राज्यों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने दिनांक 08 जुलाई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.06/01/(23)/2016-एनईएफ (यू) के तहत डिस्कॉम ऋणों का 25% लेने के लिए समय-सीमा 30 सितंबर, 2015 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दी है। इस हस्तक्षेप से ऋण का ब्याज भार कम होगा। सभी के लिए 24X7 विद्युत के विजन को हासिल करने में यह एक प्रमुख कदम है।

राज्य वित्त के अनुरूप डिस्कॉमों को वित्तीय अनुशासन लागू करना

राज्य ग्रेडेड तरीके से डिस्कॉम की भावी हानियों का ध्यान रखेंगे और निम्नलिखित रूप से भावी हानियों को वित्तपोषित करेंगे:

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पिछले वर्षों की डिस्कॉम हानि राज्य द्वारा ली जाएगी	2014-15 की हानि का 0%	2015-16 की हानि का 0%	2016-17 की हानि का 5%	2017-18 की हानि का 10%	2018-19 की हानि का 25%	पिछले वर्ष की हानि का 50%

उदय में राज्यों की भागीदारी की स्थिति

निम्नलिखित **27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** उदय में शामिल हो चुके हैं:

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पुडुच्चेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मणिपुर, पुडुच्चेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, केरल और मिजोरम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केवल प्रचालनात्मक टर्न अराउंड के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं।

4.0 एकीकृत विद्युत विकास योजना (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) आईपीडीएस में समाहित)

शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए महत्व देने हेतु भारत सरकार ने 03 **दिसंबर**, 2014 **को निम्नलिखित घटकों वाली "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) की शुरुआत की**:

i. शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।
ii. शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
iii. वितरण क्षेत्र में आईटी सक्षमता और 12वीं और 13वीं योजना के लिए पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय आईपीडीएस में अग्रेणित करके वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

परिव्यय एवं बजटीय सहायता

उपरोक्त (i) और (ii) के घटकों में समग्र कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 25,354 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता सहित 32,612 करोड़ रूपए का अनुमानित परिव्यय है।

सीसीईए द्वारा पहले से ही अनुमोदित 22,727 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता सहित 44,011 करोड़ रूपए की आर-एपीडीआरपीस्कीम लागत को उपरोक्त दर्शाए गए (i) और (ii) घटकों के लिए परिव्यय के अतिरिक्त आईपीडीएस की नई स्कीम में ले जाया जाएगा।

पात्र यूटिलिटियां

निजी क्षेत्र की डिस्कॉम तथा राज्य विद्युत विभागों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

वित्तपोषण स्वरूप

वित्तपोषण तंत्र निम्नवत प्रस्तावित है::

एजेंसी	सहायता का स्वरूप	सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)	
		विशेष श्रेणी राज्यों के अतिरिक्त	विशेष श्रेणी राज्य #
भारत सरकार	**अनुदान**	60	85
डिस्कॉम योगदान	**स्व निधि**	10	5
देनदार (वित्तीय संस्थान/ बैंक)	**ऋण**	30	10
निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	**अनुदान**	**कुल ऋण घटक का** 50% (30%) **अर्थात** 15%	**कुल ऋण घटक का** 50% (10%) **अर्थात** 5%
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति पर)	**अनुदान**	**75%**	**90%**

अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए लक्ष्य

अतिरिक्त अनुदान (ऋण घटक का 50% अर्थात विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5% तथा अन्य राज्यों के लिए 15%) निम्नलिखित लक्ष्य की प्राप्ति के अधीन जारी किया जाएगा:

(क) निर्धारित लक्ष्य अनुमेय स्कीम को समय से पूरा करना।

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दी गई ट्राजेक्टरी के अनुसार एटीएंडसी हानियों में कमी (डिस्कॉम-वार)।

(ग) मीटरीकृत उपभोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी, यदि कोई है, का अपफ्रंट जारी किया जाना।

31-07-2017 की स्थिति के अनुसार प्रगति

- 32 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में** 3,606 **नगरों के लिए कुल** 26,731 **करोड़ रुपये संस्वीकृत।**
- **उक्त राज्यों को जारी करने हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा** 3,385 **करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।**

- जुलाई, 2017 में 1,291 नगरों के लिए प्राप्त पोस्ट गो-लिव रिपोर्टों के अनुसार बेसलाइन स्तर के संदर्भ में 1,086 नगरों (84%) के लिए एटीएण्डसी हानि कमी सूचित की गई है।
- 51 यूटिलिटियों में से 47 यूटिलिटियों द्वारा कंज्यूमर कनेक्ट के लिए ऑल इंडिया शॉर्ट कोड '1912' कार्यान्वित किया गया है।
- नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) के अंतर्गत शहरी वितरण निगरानी प्रणाली के लिए डाटा एनआईसी द्वारा विकसित किए जा रहे हैं और आर-एपीडीआरपी गो-लिव नगरों के सभी 11केवी शहरी फीडरों से फीडर डाटा प्रगामी रूप से उक्त पोर्टल पर पोर्ट किए जा रहे हैं। वर्तमान में 1,405 आर-एपीडीआरपी नगरों में कुल 31,147 फीडरों में से 26,504 फीडरों के लिए डाटा एनपीपी में प्राप्त किए जा रहे हैं।
- **ऊर्जा** – महत्वपूर्ण प्राचलों, जो उपभोक्ताओं से संबंधित हैं जैसे आउटेज सूचना, समय पर कनेक्शन जारी करना, शिकायतों का समाधान करना, विद्युत विश्वसनीयता आदि के संबंध में आईटी सक्षम नगरों की सूचना उपलब्ध कराकर शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र के साथ कंज्यूमर कनेक्ट बढ़ाने के लिए शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए विद्युत मंत्रालय की ओर से पीएफसी द्वारा अर्बन ज्योति एप विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एप नगर/डिस्कॉम/राज्य/अखिल भारतीय स्तर पर एटीएण्डसी हानि से संबंधित सूचना तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के विभिन्न घटकों अर्थात् आईटी सक्षमीकरण, स्काडा, प्रणाली सुदृढ़ीकरण, संपूर्ण देश में विभिन्न वितरण यूटिलिटियों के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की प्रगति संबंधी सूचना भी उपलब्ध कराता है। जून, 2016 में ऊर्जा एप भी शुरू किया गया था और एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज और वेब वर्जन के लिए उपलब्ध है।
- वेब विश्लेषण आईपीडीएस परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना निगरानी, पोस्ट गो-लिव प्राचलों का विश्लेषण, 11केवी शहरी फीडर निगरानी, परियोजना स्थल पर बिल बोर्ड लगाना, 1912 ऑपरेशन करने की स्थिति की निगरानी सहित आईपीडीएस पोर्टल को पुन: तैयार किया गया है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रल (आर-एपीडीआरपी) [आईपीडीएस में समाहित]

XI एवं XII योजना में आरएपीडीआरपी-

पुनर्गठित त्वरित विद्युत वकास एवं सुधार कार्यक्रम *(*आर-एपीडीआरपी*)* को *XI*वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी दिनांक *19* सितंबर*, 2008* के विद्युत मंत्रालय के आदेश के माध्यम से दी गई थी।

यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय द्वारा *22* दिसंबर*, 2008* को आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देश जारी करने के साथ शुरू हुआ था। *8* जुलाई*, 2013* के आदेश के तहत *12*वीं और *13*वीं योजनाओं में

जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित अनुसार आर-एपीडीआरपी दिनांक *3* दिसंबर, *2014* के आदेश के तहत आईपीडीएस में समाहित कर दी गई हैं।

आर-एपीडीआरपी का उद्देश्य

प्रोग्राम में सही बेस लाइन डाटा तथा वास्तविक के निरंतर एकत्रीकरण हेतु विश्वसनीय और संचालित प्रणालियों की स्थापना तथा हानि में सतत् रूप से कमी करने की दृष्टि से प्रदर्शन करने योग्य निष्पादन पर ध्यान केंद्रित है।

इस स्कीम में तीन भाग-भाग *(क)*, भाग *(ख)* और भाग *(ग)* शामिल हैं।

भाग-क

स्कीम का भाग-क सन *2001* की जनगणना के अनुसार *30000 (*विशेष श्रेणी राज्यों के लिए *10000)* से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में विश्वसनीय और जांचयोग्य आंकड़ा प्रणाली हासिल करने के लिए आईटी सक्षम प्रणाली की स्थापना के प्रति समर्पित है। भाग-क के अंतर्गत, *4* लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों तथा *350* एमयू से अधिक की वार्षिक निवेश ऊर्जा के लिए स्काडा/डीएमएस के कार्यान्वयन की भी परिकल्पना की गई है। । स्काडा प्रणालियां गुणवत्ता में सुधार करने, विश्वसनीयता और विद्युत आपूर्ति की दक्षता में सुधार करने के लिए इलेक्ट्रिकल प्राचलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल को सक्षम बना भाग-क परियोजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत *100%* ऋण उपलब्ध कराया जाता है और विद्युत मंत्रालय/नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों *(*टीपीआईईए*)* द्वारा जांच अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

भाग-ख

भाग-ख में नियमित उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजनाओं पर विचार किया गया है। भाग-ख में विशेष बल सतत आधार पर एटीएंडसी हानियों की कमी तथा विवरण प्रणाली सुधार पर दिया गया है। भाग ख में मंजूरी के लिए उन शहरों पर विचार किया जाता है जहां भाग क *(*आईटी*)* का कार्यान्वयन किया जाता है। भाग-ख परियोजनाओं के अंतर्गत *25%* ऋण उपलब्ध कराया जाता है और स्कीम लागत का *50% 5* वर्षों *(*वर्ष पश्चात् वर्ष शुरू करके प्रथम वर्ष से, जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र की बेसलाइन डाटा प्रणाली *(*भाग-क*)* प्रमाणित हो जाती है*)* के लिए *15%* स्तर पर एटीएण्डसी हानि स्तर बनाए रखने की सीमा पर निर्भर करते हुए अनुदान में परिवर्तनीय है और आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा निर्णय लिए अनुसार स्वीकृति के *3* वर्षों के भीतर परियोजना पूरी की जाएगी। विशेष श्रेणी राज्यों के

लिए भाग-ख परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा *90%* ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार का संपूर्ण ऋण पाँच वर्षों *(*वर्ष पश्चात् वर्ष शुरू करके प्रथम वर्ष से, जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र की बेसलाइन डाटा प्रणाली *(*भाग-क*)* प्रमाणित हो जाती है, के लिए *15%* स्तर पर एटीएण्डसी हानि स्तर बनाए रखने की सीमा पर निर्भर करते हुए पाँच ट्रेंचों में परिवर्तित की जाएगी। *15%* से अधिक एटीएण्डसी हानि स्तर को हासिल करने के लिए अनुदान में उस वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार *15%* ऋण परिवर्तन कम करेगी। भाग-ख के लए *10%* स्कीम लागत तक सामान्य श्रेणी राज्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष अनुदान में परिवर्तित की जा सकती है और स्कीम लागत के *18%* तक विशेष श्रेणी राज्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष अनुदान के रूप में परिवर्तित की जा सकती है।

भाग-ग

आर-एपीडीआरपी में स्कीम के भाग-ग के अंतर्गत यूटिलिटी के कार्मिकों के क्षमता निर्माण तथा फ्रेंचाइजियों के विकास का प्रावधान भी है। भाग-ग के स्मार्ट ग्रिड सहित अंतर्गत नवीनीकरण अपनाने वाली कुछ पायलट परियोजनाओं की परिकल्पना भी की गई है।

योजना परिव्यय

आर-एपीडीआरपी की 44,011 करोड़ रुपये की लागत से सीसीईए द्वारा अनुमोदित अनुसार 22,727 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शामिल है।

नोडल एजेंसी

स्कीम का प्रचालन करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा पावर फाइनेंस कारपोरेशन को नामित किया गया है। नोडल एजेंसी ने प्रोसेस परामर्शदाता नियुक्त किए हैं और आईटी परामर्शदाताओं, आईटी कार्यान्वयन एजेंसियों, स्काडा/डीएमएस परामर्शदाताओं, स्काडा कार्यान्वयन एजेंसियों तथा थर्ड पार्टी इंटीपेंडेंड इवैल्युएटिंग एजेंसी-एनर्जी एकाउंटिंग और आईटी के पैनल बनाए हैं।

कार्यान्वयन की प्रगति (31-07-2017 की स्थिति के अनुसार)

भाग-क (आईटी)

भाग-क (आईटी) के अंतर्गत 30 राज्यों की 48 यूटिलिटियों में सभी 1,405 पात्र शहरों की स्कीमों के लिए 5,375 करोड़ रुपये की ऋण राशि संस्वीकृत की गई है और तथा 3,434 करोड़

रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। 1,356 शहरों को 'गो-लिव' घोषित कर दिया गया है। सभी गो-लिव घोषित नगर 23 राज्यों में है।

भाग-क (स्काडा)

भाग-क/(स्काडा) के अंतर्गत 59 पात्र शहरों में स्कीमों के लिए 1,251 करोड़ रुपये की ऋण राशि संस्वीकृत की जा चुकी है और 520 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है। स्कीम 18 राज्यों/27 यूटिलिटियों के लिए संस्वीकृत की गई है। सभी राज्यों ने स्काडा कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त कर दी है। 52 शहरों में स्थापित स्काडा कंट्रोल सेंटर स्थापित हो गए हैं तथा स्काडा सिस्टम 18 नगरों में पूरा कर लिया गया है।

भाग-ख के अंतर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं

भाग-ख के अंतर्गत 1,227 पात्र शहरों में 30,897 करोड़ रुपये मूल्य की स्कीमें पहले ही संस्वीकृत की जा चुकी हैं और आज तक 6,286 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। 27 राज्यों (44 यूटिलिटियां) में स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। 26 राज्यों (42 यूटिलिटियां) में स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। 860 शहरों में कार्य पूरा हो गया है।

आर-एपीडीआरपी के जरिए एटीएण्डसी हानि कमी के लिए उपाय

गो-लिव आईटी सक्षमीकरण ने यूटिलिटियों को ऊर्जा लेखा के जरिए हानि पॉकेट का पता लगाने तथा एटीएण्डसी हानि की कमी के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक उपाय करने के लिए सक्षम बना दिया है।

5.0 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी)

सरकार ने भारत में बड़ी क्षमता की विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के लिए यूएमपीपी प्रोग्राम की शुरुआत की है। प्रत्येक लगभग 4,000 मेगावाट की संविदागत क्षमता के यूएमपीपी के विकास के लिए सरकार द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में काम करने के लिए पीएफसी को विनिर्दिष्ट किया है। एक ही स्थान पर स्थित बड़ी उत्पादन क्षमताओं के आधार पर पैमाने की बचत, सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी, जिसमें उच्च दक्षताएं और कम उत्सर्जन है, का प्रयोग करना और इन घटकों के परिणामस्वरूप सृजित विद्युत के लिए कम प्रशुल्क लागतों की संभावना है, शामिल हैं तथा विकासकर्ताओं के चयन के लिए अपनाई गई अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रियाओं के आधार पर प्रशुल्क है।

इन यूएमपीपी के विकास के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में विद्युत मंत्रालय के साथ भारत सरकार की 'पहल' है जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तकनीकी भागीदार है। 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश (सासन), गुजरात (मुंद्रा), आंध्र प्रदेश (कृष्णापट्टनम), झारखण्ड (तिलैया), कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंगे), तमिलनाडु (चेय्यूर), ओडिशा (सुंदरगढ़), बिहार (बांका), उत्तर प्रदेश में 55 यूएमपीपी और ओडिशा में दो अतिरिक्त यूएमपीपी और तमिलनाडु, गुजरात और झारखण्ड (देवघर) में दूसरा यूएमपीपी स्थापित किए जाने के लिए अभिचिह्नित किए गए हैं।

30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार यूएमपीपी के लिए कंपनी द्वारा 19 स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित किए गए हैं। इनमें से 14 एसपीवी (ऑपरेटिंग एसपीवी) परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया करने हेतु आवश्यक प्रारंभिक स्थल जांच कार्य करने के लिए निगमित किए गए थे। कार्यान्वयन एवं प्रचालन के लिए ये एसपीवी प्रशुल्क आधारित अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के जरिए चुने गए सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को हस्तांतरित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित यूएमपीपी (ओडिशा, बिहार, देवघर और तिलैया यूएमपीपी) के मामले में कोयला ब्लॉकों के लिए भूमि तथा विद्युत संयंत्र के लिए भूमि रखने तथा आयातित कोयला आधारित यूएमपीपी (चेय्यूर यूएमपीपी) के मामले में विद्युत संयंत्र/पत्तन के लिए भूमि रखने के लिए पीएफसी द्वारा पाँच अतिरिक्त एसपीवी (इंफ्रा एसपीवी) निगमित की गई थी। ये एसपीवी इन परियोजनाओं से विद्युत के संबंधित प्रापकों को हस्तांतरित किए जाएंगे।

इन 19 (उन्नीस) एसपीवी में से 4 (चार) एसपीवी नीचे दिए अनुसार सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं:

क्र.सं.	एसपीवी का नाम	सफल बोलीदाता	हस्तांतरण की तारीख
1	कोस्टल गुजरात पावर लि.	टाटा पावर कंपनी लि.	22 अप्रैल, 2007
2	सासन पावर लि.	रिलायंस पावर लि.	7 अगस्त, 2007
3	कोस्टल आंध्र पावर लि.	रिलायंस पावर लि.	29 जनवरी, 2008
4	झारखण्ड इंटीग्रेटेड पावर लि.*	रिलायंस पावर लि.	7 अगस्त, 2009

* रिलायंस पावर लिमिटेड/झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) ने 28 अप्रैल, 2015 को तिलैया यूएमपीपी के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) का समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस स्वीकार करने का निर्णय लिया है। प्रापकों द्वारा जेआईपीएल द्वारा अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है।

6.0 एटीएण्डसी हानियों की गणना के लिए संशोधित पद्धति तथा एसीएस-एआरआर अंतर

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए एटीएण्डसी हानियों की गणना करने हेतु एक सिंगल पद्धति का सुझाव देने तथा समीक्षा करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी, पीएफसी तथा सीईए के सदस्यों वाली एक एटीएण्डसी हानि गणना पद्धति की यौक्तिकीकरण समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर एटीएण्डसी हानियों की गणना के लिए पद्धति संशोधित की गई है और सीईए द्वारा सभी राज्यों/डिस्कॉमों के लिए अधिसूचित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद विद्युत मंत्रालय/राज्यों/डिस्कॉमों के अधीन सभी पणधारकों द्वारा एक समान रूप से कार्यान्वित किए जाने हेतु संशोधित पद्धति प्रस्तावित की गई है।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव भी किया गया था कि एसीएस-एआरआर अंतर की गणना के प्रयोजन के लिए इनपुट एनर्जी अधिक विश्वसनीय डाटा प्रतीत होता है; अत: इनपुट एनर्जी आधार पर अंतर एफओआर को छोड़कर सभी पणधारकों द्वारा निगरानी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

एटीएण्डसी हानियों के लिए संशोधित पद्धति नीचे दी गई है:

क	इनपुट एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच)	विद्युत उत्पादन – आनुषंगिक खपत + विद्युत खरीद (सकल)* – विद्युत व्यापार/अंतर राज्य बिक्री
ख	पारेषण हानियां (एमकेडब्ल्यूएच)	
ग	निवल इनपुट एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच)	क-ख
घ	एनर्जी बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच)	व्यापार की गई/अंतर-राज्य बिक्री की इकाइयों को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा
ङ	विद्युत की बिक्री से राजस्व (रु. करोड़)	सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (बुक सब्सिडी सहित) परंतु व्यापार की गई ऊर्जा/अंतर-राज्य बिक्री से राजस्व शामिल नहीं
च	प्राप्त सब्सिडी आधार पर ऊर्जा की बिक्री से समायोजित राजस्व (रु. करोड़)	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (जैसा उपरोक्त ङ में दिया गया है) – बुक सब्सिडी + वर्ष के दौरान बुक सब्सिडी के लिए प्राप्त सब्सिडी
छ	ऊर्जा की बिक्री के लिए आरंभिक ऋण (रु. करोड़)	ऊर्जा की बिक्री के लिए आरंभिक ऋण प्राप्य अनुसूची में दर्शाया गया है (डूबंत ऋण के

		लिए प्रावधानों को घटाए बिना)। बिल नहीं किए गए राजस्व को ऋण नहीं माना जाएगा।
ज	ऊर्जा की बिक्री के लिए अंतिम शेष ऋण (रु. करोड़)	i) ऊर्जा की बिक्री के लिए अंतिम शेष ऋण प्राप्य अनुसूची में दर्शाया गया है (डूबंत ऋण के लिए प्रावधानों को घटाए बिना)। बिल नहीं किए गए राजस्व को ऋण नहीं माना जाएगा। ii) (i) से सीधे वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई कोई राशि
झ	ऊर्जा की बिक्री के लिए समायोजित अंतिम शेष ऋण (रु. करोड़)	ज(i+ii)
ञ	संग्रहण दक्षता (%)	(च+छ-झ)/ङ*100
ट	प्राप्त यूनिट (एमकेडब्ल्यूएच) = [बेची गई ऊर्जा* संग्रहण दक्षता]	घ*/ ञ 100
ठ	प्राप्त यूनिट (एमकेडब्ल्यूएच) = [निवल इनपुट एनर्जी-प्राप्त यूनिट]	ग-ट
ड	एटीएण्डसी हानिया (%) = [{ प्राप्त यूनिट/निवल इनपुट एनर्जी}*100]	ठ/ग *100

एसीएस/एआरआर अंतर की गणना के लिए इनपुट एनर्जी आधारित पद्धति नीचे दी गई है:

राजस्व अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)	**आपूर्ति की औसत लागत - प्राप्त करने योग्य औसत राजस्व (प्राप्त सब्सिडी आधार पर) (एसीएस-एआरआर)**
एसीएस → आपूर्ति की औसत लागत (रु./केडब्ल्यूएच में)	कुल व्यय (राशि) / कुल इनपुट ऊर्जा* (यूनिट)
एआरआर → विद्युत की बिक्री से राजस्व (प्राप्त सब्सिडी आधार पर) (रु./केडब्ल्यूएच में)	(विद्युत की बिक्री से राजस्व (प्राप्त सब्सिडी आधार पर)** + अन्य आय) / कुल इनपुट ऊर्जा (यूनिट)
टिप्पणी: * कुल इनपुट ऊर्जा से अभिप्राय पारेषण हानियों, अंतर-राज्य बिक्री अथवा व्यापार की गई ऊर्जा जैसा कोई समायोजन करने से पूर्व इनपुट ऊर्जा से है। ** विद्युत की बिक्री से राजस्व में बुक सब्सिडी + प्राप्त सब्सिडी शामिल नहीं हैं।	

खण्ड ख

सूचना की उपलब्धता की पद्धति और स्थिति

I स्कोप और कवरेज

पीएफसी द्वारा प्रकाशित 2013-14 से 2014-15 की अवधि के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन रिपोर्ट में राज्य विद्युत यूटिलिटियां तथा सभी राज्यों में राज्य विद्युत विभाग के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्र पुडुच्चेरी तथा सुधार उपायों के परिणामस्वरूप सृजित निजी वितरण कम्पनियां (दिल्ली में डिस्कॉम) शामिल हैं। रिपोर्ट में शामिल यूटिलिटियों की संख्या वर्ष 2013-14 के लिए 98 और 2014-15 और 2015-16 के लिए 101 है। रिपोर्ट में वे यूटिलिटियां शामिल नहीं होती जिनके पास विद्युत एकीकृत प्रचालन, अर्थात् सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, खनन आदि के भाग के रूप में होती है।

II इनपुट

रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए पीएफसी को यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिक लेखे (लेखा परीक्षित / गैर-लेखा परीक्षित / अनन्तिम) रिपोर्ट के लिए प्राइमरी इनपुट हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 तक पीएफसी नीति आयोग/पूर्ववर्ती योजना आयोग के विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत संसाधन योजनाओं पर निर्भर करता था। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में सभी विद्युत विभागों के लिए वार्षिक संसाधन योजनाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पीएफसी ने पीएफसी द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेट के अनुसार इन यूटिलिटियों से सीधे सूचना प्राप्त की थी (संसाधन योजनाओं के फार्मूले पर आधारित)। वित्तीय वर्ष 2014-15 में सभी विद्युत विभागों को वही फॉर्मेट भेजा गया था और मिजोरम पीडी, नागालैंड पीडी, पुडुच्चेरी पीडी और गोवा वीडी से इनपुट प्राप्त हुआ था। शेष विद्युत विभागों अर्थात सिक्किम पीडी, अरुणाचल प्रदेश पीडी तथा जेएण्डके पीडी के लिए सूचना उनकी नवीनतम प्रशुल्क याचिका में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक से ली गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भी पीएफसी ने विद्युत विभागों और मणिपुर: एमएसपीडीसीएल तथा एमएसपीसीएल को फॉर्मेट भेजा है क्योंकि एमएसपीडीसीएल तथा एमएसपीसीएल के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। एमएसपीडीसीएल, एमएसपीसीएल, गोवा पीडी और नागालैंड पीडी से इनपुट प्राप्त हो गया है। पुडुच्चेरी पीडी के लिए 2012-13 से 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे प्राप्त कर लिए गए हैं। शेष विद्युत विभागों अर्थात सिक्किम पीडी, अरूणाचल प्रदेश पीडी तथा मिजोरम पीडी के लिए सूचना उनकी नवीनतम प्रशुल्क याचिका में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक से ली गई है। जेएण्डके पीडी के लिए सूचना वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए द ईयर बुक से ली गई हैं।

यह नोट किया जा सकता है कि यूटिलिटियों द्वारा पीएफसी को प्रस्तुत सूचना/प्रशुल्क याचिका में प्रस्तुत सूचना तक सीमित रेंज उपलब्ध कराती है और अनुवर्ती वर्षों में परिवर्तन के अध्यधीन है। अनंतिम लेखे जहां उपलब्ध कराए गए हैं वे लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं और उनमें निहित सूचना वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप देने पर बदल सकती है।

कार्पोरेटाइज्ड अनबंडल्ड यूटिलिटियों के लिए वार्षिक लेखे कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए अनुसार लिए गए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी से संबंधित कुछ सचना, उपभोक्ता श्रेणीवार विद्युत स्टैंड अलोन राजस्व, एटीएण्डसी हानियां तथा अन्य तकनीकी ब्यौरा सामान्यत: कार्पोरेटाइज्ड अनबंडल्ड यूटिलिटियों के वार्षिक लेखे में उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसलिए पीएफसी द्वारा यूटिलिटियों को पृथक रूप से अनुरोध किया गया है। यूटिलिटियों से प्राप्त इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना द्वारा लिखित में अथवा मौखिक रूप से सूचित अनुसार रिपोर्ट में एसईआरसी की वेबसाईट, कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना पर भी विश्वास करती है।

इनपुट की उपलब्धता की विस्तृत स्थिति **तालिका-I** में संलग्न है।

III यूटिलिटियों, जिनमें प्रचालन के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, के संदर्भ में सूचना

- जेएसईबी को 06 जनवरी, 2014 से निम्नलिखित चार अनुवर्ती यूटिलिटियों में अनबंडल कर दिया गया है:
  - झारखंड उर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) - धारक कम्पनी
  - झारखंड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) - उत्पादन कम्पनी
  - झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) - पारेषण कम्पनी
  - झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) - वितरण कम्पनी

  जेयूवीएनएल के धारक कम्पनी होने और कोई प्रचालन नहीं करने के कारण रिपोर्ट विश्लेषण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

  जेयूएसएनएल से वित्तीय सूचना प्राप्त किए बिना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के इसके वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अत: यह नोट किया जा सकता है कि झारखंड के लिए राज्यवार आकंड़ा रिपोर्ट में शामिल सभी वर्षों से तुलनीय नहीं है।

- चूंकि टीवीएनएल के लिए लेखे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए वर्ष 2015-16 के लिए सीईए की उत्पादन रिपोर्ट से लिए गए अनुसार उत्पादन, संस्थापित क्षमता से संबंधित तकनीकी ब्यौरे पर ही रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है।

- आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत दिनांक 02.06.2014 से आन्ध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में विभाजित हो गया था। तदनुसार राज्यों के पुनर्गठन के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं::
  - नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ आन्ध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीएनपीडीसीएल) का नाम बदलकर नार्दर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (टीपीएनपीडीसीएल) कर दिया गया है।
  - सेन्ट्रल पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ आन्ध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीसीपीडीसीएल) का नाम बदलकर साउदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल) कर दिया गया है।
  - एपीजेनको को एपीजेनको और टीएसजेनको में विभाजित कर दिया गया है।
  - एपीट्रांसको को एपीट्रांसको और टीएसट्रांसको में विभाजित कर दिया गया है।
  - तेलंगाना की यूटिलिटियों को 2014-15 से तेलंगाना राज्य के अन्तर्गत पृथक रूप से दर्शाया गया है।

  आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की उत्पादन और पारेषण कम्पनियों के लिए ट्रांसफर स्कीम अधिसूचित नहीं की गई है और सभी सूचना अनन्तिम है। 2014-15 के लिए एपीजेनको और एपीट्रांसको का पूंजीगत व्यय रिपोर्ट में शून्य दर्शाया गया है क्योंकि अचल परिसम्पत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी का आदि शेष उपलब्ध नहीं है।

- विद्युत विभाग, मणिपुर सरकार को अनबंडल कर दिया गया है और 01 फरवरी, 2014 से दो अनुवर्ती यूटिलिटियों में कारपोरेटाइज्ड कर दिया गया है:
  - मणिपुर स्टेट पावर कम्पनी लिमिटेड (एमएसपीसीएल)
  - मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)

  वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे एमएसपीसीएल और एमएसपीडीसीएल के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अपेक्षित सूचना निर्धारित फॉर्मेट में यूटिलिटियों से मांगी गई है।

- केएसईबी को 01 नवम्बर, 2013 से कार्पोरेटाइज्ड कर दिया गया है और अब केएसईबी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है।

- जीओ नं. 100 दिनांक 19-10-2010, जिसे बाद में जी.ओ. (एमएस) नं. 2 दिनांक 02.01.2012 के तहत संशोधित किया गया था, के अनुसार पूर्ववर्ती टीएनईबी की अचल परिसम्मपत्तियां टेनजैडको और टेनट्रांसको को आबंटित कर दी गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने जी.ओ. (एमएस) नं. 49 दिनांक 13-08-2015 के तहत अन्तिम ट्रांसफर स्कीम जारी कर दी है। अन्तिम ट्रांसफर स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ती

टीईएनबी की अचल परिसम्पत्तियां तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई हैं और टेनजैडको और टेनट्रांसको को सौंप दी गई हैं। पूर्ववर्ती टीएनईबी की अचल परिसम्पत्तियां (भूमि और भूमि अधिकार, भवन, संयंत्र एंव मशीनरी और लाइनें तथा केबल नेटवर्क) का पुन:मूल्यांकन किया गया है और 31-10-2010 की स्थिति के अनुसार संचित हानियों के लिए समायोजित किया गया है। शेष रिजर्व उत्तरवर्ती यूटिलिटियों को अग्रेणित कर दी गई है। टेनजैडको और टेनट्रांसको के वित्त पर अन्तिम ट्रांसफर स्कीम का प्रभाव वित्तीय वर्ष 2015-16 में दर्शाया गया है। परिसम्मपत्तियों के पुन:मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

- दिनांक 04.03.2015 के आदेश के तहत ओडिशा विद्युत विनायमक आयोग (ओईआरसी) ने आर-इंफ्रा प्रबंधित डिस्कॉम - नेस्को, सेस्को और वेस्को के वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। आदेश के अनुसार नेस्को, सेस्को और वेस्को की परिसम्पत्तियां हित और अधिकार तथा विद्युत के वितरण और आपूर्ति का कारोबार करने के लिए लाइसेंस क्रमश: नेस्को के प्रशासक, सेस्को के प्रशासक तथा वेस्को के प्रशासक के पास हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नई यूटिलिटियों के लिए लेखा परीक्षित लेखे यूटिलिटियों से प्राप्त हो गए हैं और इस रिपोर्ट में शामिल कर लिए गए हैं।
- महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) द्वारा दिनांक 07 जून, 2015 की सरकारी अधिसूचना संख्या रिफॉर्म 1005/पीआर/केआरए/9061/भाग-2/उर्जा-5 के तहत अधिसूचित पूर्ववर्ती महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमसीईबी) के वित्तीय पुनर्गठन के लिए अनन्तिम ट्रांसफर स्कीम को 31 मार्च, 2016 की जीआर संख्या रिफार्म 2010/पीके/117/उर्जा-3 के तहत दिनांक 31 मार्च, 2016 को अन्तिम रूप दिया गया था। ट्रांसफर स्कीम में दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रांसफर की तारीख को पूर्ववर्ती एमएसईबी की परिसम्पत्तियों का 05 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार परिकलित डेप्रिसिएटिड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड के अनुसार पुन:मूल्यांकन किया गया था और इस प्रकार की पुन:मूल्यांकित परिसम्पत्तयों को उस मूल्य पर उत्तरवर्ती कम्पनियों को ट्रांसफर किया जाना था। सरकारी निर्देशों के आधार पर बुक मूल्य पर 05 जून, 2005 को मूल रूप से ट्रांसफर की गई परिसम्पत्तियों का एक तरफ अचल परिसम्पत्तियों को संशोधित मूल्यों पर उक्त तारीख को पुन:निश्चित किया गया है और दूसरी तरफ साम्या शेयरपूंजी में परिणामी वृद्धि हुई है। वर्ष दर वर्ष आधार पर लागू दरों को लागू करने के बाद वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 05 जून, 2005 को ट्रांसफर की गई परिसम्पत्तियों का डिफरेंशियल मूल्य पर बाह्य सनदी लेखाकार प्रमाणित अनुसार मूल्यह्रास का अनुमान लगाया गया था और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लाभ एवं हानि खाता विवरण में असाधारण मदों के रूप में माना गया है।

IV पद्धति

उपलब्ध सूचना का विश्लेषण संगत माने अनुसार यूटिलिटिवार और राज्यवार किया गया है। क्षेत्रवार योग/औसत जहां उपयुक्त है, क्षेत्रों के बीच तुलना करने के लिए दर्शाया गया है। रिपोर्ट में वर्ष 2015-16 पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों का निष्पादन शामिल है। रिपोर्ट में ऋणात्मक आकंड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में एटीएण्डसी हानियों की गणना के लिए राज्य, जहां सब्सिडी राजस्व में पृथक रूप से नहीं दर्शाई गई है, संग्रहण क्षमता की गणना करने के लिए सरकार से प्राप्य सब्सिडी को बाहर करने के लिए विद्युत की बिक्री के लिए देनदारों में समायोजित की गई है।

यह नोट किया जा सकता है कि काफी उपभोक्ता अब भी सभी राज्यों में बिना मीटर के बचे हुए हैं और एटीएण्डसी हानियों की गणना की काफी सूचना वार्षिक लेखों में उपलब्ध नहीं है। यह सूचना यूटिलिटियों से प्राप्त की गई है। इस प्रकार एटीएण्डसी हानियों से संबंधित सूचना का प्रयोग करते हुए काफी ध्यान रखने की आवशयकता होगी।

वास्तविक एवं वित्तीय प्राचलों पर क्षेत्रवार निष्पादन का आंकन करने के अतिरिक्त रिपोर्ट राजस्व अन्तर विश्लेषण तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचकों अर्थात प्राप्य के स्तर, साम्या के लिए ऋण, निवल मूल्य, नियोजित पूंजी आदि उपलब्ध कराती है।

विभिन्न शब्द/पैरामीटर **तालिका II** में परिभाषित किए गए हैं।

तालिका I: वार्षिक लेखों की स्थिति

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2013-14	2014-15	2015-16
पूर्वी	बिहार	बीएसपीजीसीएल	ए	ए	ए
		बीएसपीटीसीएल	ए	ए	ए
		एनबीपीडीसीएल	ए	ए	ए
		एसबीपीडीसीएल	ए	ए	ए
	झारखण्ड	जेएसईबी अनबंडल्ड 6 जनवरी, 2014 से प्रभावी	पी	-	-
		जेयूयूएनएल 6 जनवरी, 2014 से	-	ए	पी
		जेयूएसएनएल 6 जनवरी, 2014 से	-		उपलब्ध नहीं
		जेबीवीएनएल 6 जनवरी, 2014 से	ए	ए	ए
	ओडिशा	ग्रिडको	ए	ए	ए
		ओपीटीसीएल	ए	ए	पी
		सीईएसयू	ए	ए	ए
		ओएचपीसी	ए	ए	ए
		ओपीजीसीएल	ए	ए	ए
		सेस्को	ए	पी	-
		सेस्को यूटिलिटी	-	-	ए
		नेस्को	ए	पी	-
		नेस्को यूटिलिटी	-	-	ए
		वेस्को	ए	पी	-
		वेस्को यूटिलिटी	-	-	ए
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	आरपी	प्रशुल्क याचिका	प्रशुल्क याचिका
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	ए	ए	ए
		डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	ए	ए	ए
		डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	ए	ए	ए
उत्तर पूर्वी	असम	एपीजीसीएल	ए	ए	पी
		एईजीसीएल	ए	ए	ए
		एपीडीसीएल	ए	ए	ए
	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडीडी	आरपी	प्रशुल्क याचिका	प्रशुल्क याचिका
	मणिपुर	मणिपुर पीडी अनबंडल्ड 1 फरवरी, 2014 से प्रभावी	आरपी	-	-
		एमएसपीडीसीएल 1 फरवरी, 2014 से प्रभावी	ए	ए	इंफो.
		एमएसपीसीएल 1 फरवरी, 2014 से प्रभावी	ए	ए	इंफो.
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	आरपी	इंफो.	प्रशुल्क याचिका
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	आरपी	इंफो.	इंफो.
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	ए	ए	पी
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	ए	ए	पी
		एमईपीजीसीएल	ए	ए	पी
		एमईपीटीसीएल	ए	ए	पी
उत्तरी	दिल्ली	दिल्ली ट्रांसको	ए	ए	ए
		इंद्रप्रस्थ	ए	ए	ए

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2013-14	2014-15	2015-16
		टीपीडीडीएल	ए	ए	ए
		बीएसईएस राजधानी	ए	ए	ए
		बीएसईएस यमुना	ए	ए	ए
		प्रगति	ए	ए	ए
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	ए	ए	पी
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	ए	ए	ए
		एचपीजीसीएल	ए	ए	ए
		एचवीपीएनएल	ए	ए	ए
		यूएचबीवीएनएल	ए	ए	ए
	जेएंडके	जेएंडके पीडीसीएल	पी	पी	पी
		जेएंडके पीडीडी	इयर बुक	इयर बुक	इयर बुक
	पंजाब	पीएसपीसीएल	ए	ए	ए
		पीएसटीसीएल	ए	ए	ए
	राजस्थान	एवीवीएनएल	ए	ए	ए
		जेडीवीवीएनएल	ए	ए	ए
		जेवीवीएनएल	ए	ए	ए
		आरआरवीपीएनएल	ए	ए	ए
		आरआरवीयूएनएल	ए	ए	ए
	उत्तर प्रदेश	यूपीजेवीएनएल	ए	पी	पी
		यूपीपीसीएल	ए	पी	पी
		यूपीआरवीयूएनएल	ए	ए	ए
		यूपीपीटीसीएल	ए	ए	पी
		डीवीवीएनएल	ए	ए	पी
		केस्को	ए	ए	पी
		एमवीवीएनएल	ए	ए	पी
		पूर्व वीवीएनएल	ए	ए	पी
		पश्चिम वीवीएनएल	ए	ए	पी
	उत्तराखण्ड	यूटीपीसीएल	ए	ए	ए
		यूटी ट्रांसको	ए	ए	ए
		यूजेवीएनएल	ए	ए	ए
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	ए	तेलंगाना को ट्रांसफर 2 जून, 2014 से प्रभावी	
		एपीएनपीडीसीएल	ए		
		एपीईपीडीसीएल	ए	ए	ए
		एपीजेनको	ए	ए	ए
		एपीएसपीडीसीएल	ए	ए	ए
		एपीट्रांसको	ए	ए	ए
	कर्नाटक	बेस्कॉम	ए	ए	ए
		जेस्कॉम	ए	ए	ए
		हेस्कॉम	ए	ए	ए
		केपीसीएल	ए	ए	ए
		केपीटीसीएल	ए	ए	ए
		मेस्कॉम	ए	ए	ए
		चामुंडेश्वरी डिस्कॉम	ए	ए	ए
दक्षिणी	केरल	केएसईबी कारपोरेटाइज्ड 1 नवंबर,	पी	-	-

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2013-14	2014-15	2015-16
		2013 से प्रभावी			
		केएसईबी लि.	ए	ए	ए
	पुडुच्चेरी	पुडुच्चेरी पीडी	ए	ए	पी
		पुडुच्चेरी पीसीएल	ए	पी	पी
	तमिलनाडु	टैनजेडको	ए	ए	ए
		टैनट्रांसको	ए	ए	ए
	तेलंगाना	टीएसजेनको **2 जून, 2014 से प्रभावी**	-	ए	ए
		टीएसट्रांसको **2 जून, 2014 से प्रभावी**	-	पी	पी
		टीएसएनपीडीसीएल (पूर्ववर्ती एपीएनपीडीसीएल) **2 जून, 2014 से प्रभावी**	-	ए	ए
		टीएसएसपीडीसीएल (पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल) **2 जून, 2014 से प्रभावी**	-	ए	ए
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीजीसीएल	ए	ए	ए
		सीएसपीटीसीएल	ए	ए	ए
		सीएसपीडीसीएल	ए	ए	ए
	गोवा	गोवा पीडी	आरपी	इंफो.	इंफो.
	गुजरात	पीजीवीसीएल	ए	ए	ए
		डीजीवीसीएल	ए	ए	ए
		एमजीवीसीएल	ए	ए	ए
		यूजीवीसीएल	ए	ए	ए
		गेटको	ए	ए	ए
		जीएसईसीएल	ए	ए	ए
		जीयूवीएनएल	ए	ए	ए
	मध्य प्रदेश	एमपीपीटीसीएल	ए	ए	ए
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	ए	ए	ए
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	ए	ए	ए
		एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	ए	ए	ए
		एमपीपीजीसीएल	ए	ए	ए
	महाराष्ट्र	एमएसईटीसीएल	ए	ए	ए
		एमएसईडीसीएल	ए	ए	ए
		एमएसपीजीसीएल	ए	ए	ए

टिप्पणी: ए: लेखा परीक्षित; पी: अनंतिम; आरपी: योजना आयोग संसाधन योजना; इंफो: सूचना

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जेयूयूएनएल के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अत: रिपोर्ट में विश्लेषण के लिए जेयूयूएनएल को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एमएसपीसीएल तथा एमएसपीडीसीएल के लिए वार्षिक लेखे उपलब्ध नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रपत्र में यूटिलिटियों से मांगी गई हैं।

तालिका II: विवरण

	पैरामीटर		विवरण
1	पीएलएफ (थर्मल) (%)	=	विद्युत उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच) (थर्मल) x 10^5 / संस्थापित क्षमता (थर्मल) (मेगावाट) x 8,760
2	कुल इनपुट एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच)		
	• एसईबी/पीडी के लिए	=	उत्पादित ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) – आनुषंगिक खपत (एमकेडब्ल्यूएच) + खरीदी गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच)
	• डिस्कॉम/ट्रेडिंग कंपनियों के लिए	=	खरीदी गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) + निवल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच), यदि कोई है
	• ट्रांसको के लिए	=	कुल व्हील्ड ऊर्जा
3	एटीएंडसी हानियां (%) एसईबी/पीडी/ डिस्कॉम)		
	• कुल विद्युत आपूर्ति (एमकेडब्ल्यूएच)	=	कुल इनपुट ऊर्जा (पारेषण हानियों तथा व्यापार की गई ऊर्जा के लिए समायोजित)
	• निवल विद्युत की बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच)	=	बेची गई ऊर्जा (व्यापार की गई ऊर्जा के लिए समायोजित)
	• विद्युत की बिक्री से निवल राजस्व (रु. करोड़)	=	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (व्यापार की गई ऊर्जा से राजस्व के लिए समायोजित)
	• संग्रहण दक्षता (%)	=	ऊर्जा की बिक्री से निवल राजस्व – विद्युत की बिक्री के लिए ऋणों में परिवर्तन x100 / ऊर्जा की बिक्री से निवल राजस्व
	• प्राप्त ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच)	=	ऊर्जा की निवल बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच) x संग्रहण दक्षता
	• एटीएण्डसी हानियां (%) (एसईबी/पीडी/डिस्कॉम के लिए)	=	निवल इनपुट एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच) – प्राप्त ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) x 100 / निवल इनपुट एनर्जी (एमकेडब्ल्यूएच)
4	आनुषंगिक खपत (%)	=	आनुषंगिक खपत (एमकेडब्ल्यूएच) x100 / कुल उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच)
5	कुल आय	=	विद्युत की बिक्री से राजस्व + सब्सिडी को छोड़कर अन्य आय

	पैरामीटर		विवरण
6	सब्सिडी को छोड़कर पीएटी	=	पीएटी – बुक सब्सिडी
7	नकद लाभ	=	कर पश्चात् लाभ + मूल्यह्रास + बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय + स्थगित कर
8	नकद लाभ (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	=	नकद लाभ – बुक सब्सिडी + प्राप्त सब्सिडी
9	नकद लाभ (सब्सिडी / प्राप्ति आधार पर राजस्व)	=	नकद लाभ – बुक सब्सिडी + प्राप्त सब्सिडी + विद्युत की बिक्री के लिए ऋणों में परिवर्तन
10	निवल मूल्य	=	इक्विटी + रिजर्व + संचित लाभ / हानि – बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय
11	नियोजित पूंजी	=	निवल मूल्य + कुल ऋण + उपभोक्ता अंशदान + अनुदान
12	विद्युत की बिक्री के लिए ऋण	=	विद्युत की बिक्री के लिए ऋण – डूबंत ऋणों के लिए प्रावधान
13	विद्युत की बिक्री के लिए ऋण (दिनों की संख्या)	=	विद्युत की बिक्री के लिए ऋण x 365 / विद्युत की बिक्री से राजस्व
14	विद्युत की खरीद के लिए ऋण	=	विद्युत की खरीद के लिए ऋणx 365 / विद्युत की खरीद के लिए व्यय
15	वर्ष के दौरान पूंजी व्यय	=	सकल अचल परिसंपत्तियां + पूंजी डब्ल्यूआईपी + संविदाकारों को अग्रिम – खुली सकल अचल परिसंपत्तियों – खुली पूंजी डब्ल्यूआईपी– संविदाकारों को खुला अग्रिम
16	इक्विटी पर प्रतिफल (%)	=	कर पश्चात् लाभ x 100 / इक्विटी
17	निवल मूल्य पर प्रतिफल (%)	=	कर पश्चात् लाभ x 100 / निवल मूल्य
18	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (%)	=	ब्याज व्यय से पूर्व लाभx100 / नियोजित पूंजी
19	डेब्ट इक्विटी अनुपात	=	कुल ऋण / निवल मूल्य

	पैरामीटर		विवरण
20	आपूर्ति की औसत लागत (रु./केडब्ल्यूएच)	=	कुल व्यय / कुल इनपुट एनर्जी (केडब्ल्यूएच)
21	औसत राजस्व (रु./केडब्ल्यूएच)	=	विद्युत की बिक्री से राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) +अन्य आय / कुल इनपुट एनर्जी (केडब्ल्यूएच)
22	अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)	=	एसीएस – औसत राजस्व (रु./केडब्ल्यूएच)

- आय/लाभ तथा लाभप्रदता अनुपात के लिए गणना तथा सब्सिडी के बिना अंतर, बुक सब्सिडी सहित अथवा प्राप्त सब्सिडी के साथ, आय/लाभ/अंतर, जैसी भी स्थिति हो, बुक सब्सिडी तथा प्राप्त सब्सिडी के लिए समायोजित की गई है।
- यह तालिका **खण्ड ख – पद्धति के संदर्भ में पढ़ी जाए।**

खण्ड ग

अध्याय 1

वित्तीय पैरामीटर संबंधी निष्पादन

1.0 प्रस्तावना

आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए दक्ष और वित्तीय रूप से सुदृढ़ विद्युत क्षेत्र अनिवार्य है। इस अध्याय में क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा की गई है।

1.1 विद्युत की बिक्री से राजस्व

एसईबी, राज्य विद्युत विभागों और सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करने वाले डिस्कॉमों के लिए विद्युत की बिक्री से प्राप्त सकल राजस्व 2013-14 में 3,30,296 करोड़ रुपये से 2014-15 में 3,71,959 करोड़ रुपये और 2015-16 में बढ़कर 3,92,398 करोड़ रुपये हो गया जो 2014-15 में 12.61% और 2015-16 में 5.49% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

इन यूटिलिटियों द्वारा बेची गई कुल उर्जा 2013-14 में 6,98,169 एमकेडब्ल्यूएच, 2014-15 में 7,53,345 एमकेडब्ल्यूएच और 2015-16 में 7,89,512 एमकेडब्ल्यूएच थी जो 2014-15 में 7.92% और 2015-16 में 4.79% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

विद्युत की बिक्री से राजस्व और 2015-16 में बेची गई उर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) क्षेत्रवार वृद्धि दर नीचे तालिका में दी गई है:

	2015-16	
क्षेत्र	**विद्युत बिक्री में वृद्धि (एमकेडब्ल्यूएच) (%)**	**राजस्व में वृद्धि(%)**
पूर्वी	6.41	2.68
उत्तर पूर्वी	17.42	15.96
उत्तरी	5.04	9.42
दक्षिणी	4.13	6.37
पश्चिमी	4.12	1.04
अखिल भारत	**4.79**	**5.49**

उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में बेची गई ऊर्जा की तुलना में विद्युत की बिक्री से राजस्व में अधिक वृद्धि प्रशुल्क के जरिए सुधरी प्राप्ति दर्शाती है।

उपरोक्त के अनुसार विद्युत की बिक्री से राजस्व में राज्य सरकार से राज सहायता, मीटर रेन्ट, व्हीलिंग प्रभार आदि शामिल नहीं होते।

(अनुबंध 1.1.0)

1.2 यूटिलिटियों की आय, व्यय और लाभप्रदता

1.2.1 उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियां

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए कुल कारोबार (विद्युत की बिक्री से राजस्व और अन्य आय परन्तु बुक की गई राज सहायता शामिल नहीं) 2014-15 में 12.90% और 2015-16 में 5.81% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

इन यूटिलिटियों के लिए कुल व्यय 2014-15 में 9.13% और 2015-16 में 8.34% बढ़ा। लागत की वसूली (मूल्यह्रास सहित) नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

	2013-14	2014-15	2015-16
कुल आय राज सहायता शामिल नहीं (रु. करोड़)	3,55,739	4,01,617	4,24,948
कुल व्यय (रु. करोड़)	4,61,625	5,03,774	5,45,779
लागत की वसूली (%)	77.06%	79.72%	77.86%

इन यूटिलिटियों के लिए बुक कुल हानियां 2013-14 में 67,962 करोड़ रुपये से घटकर 2014-15 में 54,588 करोड़ रुपये हो गई परन्तु 2015-16 में बढ़कर 63,321 करोड़ रुपये हो गई। एमएसईडीसीएल को 2014-15 में 366 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14,979 करोड़ रुपये की हानि हुई। अचल परिसम्पत्तियों के संशोधित मूल्य में ट्रांसफर स्कीम में संशोधन के बाद महाराष्ट्र की यूटिलिटियों ने 2015-16 के लिए लाभ और हानि खाते के विवरण में असाधारण मद के रूप में माने अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए पुन:मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रभारित मूल्यह्रास 12,414 करोड़ रुपये है। यदि इस असाधारण मद को

छोड़ दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एमएसईडीसीएल की खाता हानि 2,565 करोड़ रुपये होगी। इसके फलस्वरूप सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए कुल खाता हानियां 50,907 करोड़ रुपये होगी।

प्राप्त राज सहायता आधार पर कुल हानियां 2013-14 में 68,257 करोड़ रुपये से घटकर 2014-15 में 56,939 करोड़ रुपये हो गई परन्तु 2015-16 में बढ़कर 65,718 करोड़ रुपये हो गई।

इन यूटिलिटियों के लिए राज सहायता को ध्यान में रखे बिना कुल हानियां 2013-14 में 1,05,104 करोड़ रुपये से घटकर 2014-15 में 1,02,523 करोड़ रुपये हो गई परन्तु 2015-16 में बढ़कर 1,21,001 करोड़ रुपये हो गई।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में हानियों में ट्रांसफर स्कीम में संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2005-2006 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए एमएसईडीसीएल द्वारा पुन:मूल्यांकित परिसम्पत्तियों वर प्रभारित 12,414 करोड़ रुपये का एकबारगी मूल्यह्रास व्यय शामिल है।

(अनुबंध 1.2.1 से 1.2.3)

1.2.2 जेनको/ट्रांसको/ट्रेडिंग कम्पनियां

जेनको/ट्रांसको/ट्रेडिंग कम्पनियों के लिए कुल कारोबार (राज यहायता को छोड़कर कुल आय) 2013-14 में 1,88,649 करोड़ रुपये, 2014-15 में 2,04,171 करोड़ रुपये और 2015-16 में 2,11,365 करोड़ रुपये था।

इन यूटिलिटियों को 2013-14 में 1,734 करोड़ रुपये का कुल बुक लाभ हुआ। तथापि 2014-15 में इन यूटिलिटियों को 11,464 करोड़ रुपये की कुल बुक हानि हुई। बुक हानियां 2015-16 में बढ़कर 26,282 करोड़ रुपये हो गई महाराष्ट्र (एमपीएसजीसीएल तथा एमएसईटीसीएल) में यूटिलिटियों को 2014-15 में 2,200 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 2015-16 में 13,050 करोड़ रुपये की हानि हुई। अचल परिसम्पत्तियों के संशोधित मूल्य के साथ ट्रांसफर स्कीम में संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभ एवं हानि खाता के विवरण में असाधारण मद के रूप में माने अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-2006 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए महाराष्ट्र की यूटिलिटियों ने पुन:मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया है। अत: महाराष्ट्र की

यूटिलिटियों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए खाता हानि असामान्य रूप से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए दोनों यूटिलिटियों द्वारा प्रभारित मूल्यह्रास 15,174 करोड़ रुपये है। यदि इस मद को छोड़ दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एमएसपीजीसीएल और एमएसपीटीसीएल दोनों का बुक मूल्य 2,124 करोड़ रुपये होगा। इसके परिणामस्वरूप जेनको/ट्रांसको और ट्रेडिंग कम्पनियों के लिए कुल बुक हानियां 11,108 करोड़ रुपये होगी।

(अनुबंध 1.3.1. से 1.3.3)

1.3 यूटिलिटियों का समग्र वित्तीय निष्पादन-राज्यवार

1.3.1 खाता लाभ/हानि

सभी राज्य यूटिलिटियों की समग्र खाता हानियां (पोद्भूत आधार पर) 2013-14 में 66,288 करोड़ रुपये से मामूली घटकर 2014-15 में 66,022 करोड़ रुपये हो गई परन्तु 2015-16 में बढ़कर 89,603 करोड़ रुपये हो गई। महाराष्ट्र में यूटिलिटियों को 2014-15 में 1,834 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 2015-16 में 28,29 करोड़ रुपये की हानि हुई। अचल परिसम्पत्तियों के संशोधित मूल्य के साथ ट्रांसफर स्कीम में संशोधन के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र की यूटिलिटियों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लाभ और हानि खाते के विवरण में असाधारण मदों के रूप माने गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2014-15 की अवधि के लिए पुन:मूल्यांकित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास वसूला है। अत: महाराष्ट्र की यूटिलिटियों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए खाता हानियां असामान्य रूप से अधिक हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए सभी यूटिलिटियों द्वारा एक साथ वसूला गया मूल्यह्रास 27,588 करोड़ रुपये है। यदि इस असाधारण मद को छोड़ दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए महाराष्ट्र में सभी यूटिलिटियों के लिए कुल खाता हानि 441 करोड़ रुपये होगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए क्षेत्र के लिए कुल खाता हानियां 62,015 करोड़ रुपये होगी ।

राज्य, जिन्होनें 2014-15 की तुलना में 2015-16 में खाता लाभ में वृद्धि अथवा खाता हानियों में कमी की दृष्टि से काफी सुधार (500 करोड़ रुपये से अधिक) दर्शाया है, नीचे दिए गए हैं:

रु. करोड़

राज्य	2014-15 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	2015-16 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	सुधार
तमिलनाडु	(12,870)	(6,050)	6,819
राजस्थान	(14,927)	(12,108)	2,819
हरियाणा	(2,020)	(627)	1,394
केरल	(1,273)	(313)	960
छत्तीसगढ़	(1,240)	(473)	768
मध्य प्रदेश	(6,065)	(5,392)	673

राज्य, जिन्होनें 2014-15 की तुलना में 2015-16 में अपने खाता लाभ/हानियों में खराब स्थिति (500 करोड़ रुपये अथवा अधिक) दर्शाई है, नीचे दिए गए हैं:

रु. करोड़

राज्य	2014-15 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	2015-16 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	क्षय
महाराष्ट्र	1,834	(28,029) *	29,863
उत्तर प्रदेश	(19,117)	(21,291)	2,174
पंजाब	103	(1,693)	1,796
आंध्र प्रदेश	(2,141)	(3,606)	1,465
झारखण्ड	(486)	(1,601)	1,115
तेलंगाना	(2,359)	(2,917)	558

* इसमें वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए पुन:मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर वसूला गया 27,588 करोड़ रुपये मूल्यह्रास शामिल है। यदि इस असाधारण मद को छोड़ दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए महाराष्ट्र के लिए कुल खाता हानि 441 करोड़ रुपये होगी।

2015-16 में लाभ/हानि (प्रोद्भूत आधार पर) की दृष्टि से टॉप पांच और बॉटम पांच राज्य नीचे दिए गए हैं:

2015-16 में लाभ (प्रोद्भूत आधार पर) की दृष्टि से टॉप पांच राज्य

रु. करोड़

दिल्ली	862
गुजरात	607
पश्चिम बंगाल	479
उत्तराखण्ड	156
मिजोरम	69

2015-16 में हानियों (प्राप्त राज सहायता आधार पर) के आधार पर बॉटम पांच राज्य

रु. करोड़

महाराष्ट्र	28,029
उत्तर प्रदेश	21,291
राजस्थान	12,108
तमिलनाडु	6,050
मध्य प्रदेश	5,392

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.2 प्राप्त राज सहायता आधार पर लाभ/हानि

सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए प्राप्त राज सहायता आधार पर सकल हानियां 2013-14 में 66,536 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-15 में 68,418 करोड़ रुपये हो गई और 2015-16 में ओर बढ़कर 92,012 करोड़ रुपये हो गई।

राज्य, जिन्होनें 2014-15 की तुलना में 2015-16 में प्राप्त राज सहायता आधार पर हानि में पर्याप्त सुधार दर्शाया है, नीचे दिए गए हैं

रु. करोड़

राज्य	2014-15 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	2015-16 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	सुधार
तमिलनाडु	(12,870)	(6,050)	6,819
राजस्थान	(14,942)	(12,120)	2,823
हरियाणा	(2,020)	(627)	1,394
केरल	(1,273)	(313)	960
छत्तीसगढ़	(1,240)	(473)	768
मध्य प्रदेश	(6,115)	(5,392)	724

राज्य, जिन्होनें 2014-15 की तुलना में 2015-16 में प्राप्त राज सहायता के बिना लाभ/हानि की स्थिति खराब दर्शाई है, नीचे दिए गए हैं

रु. करोड़

राज्य	2014-15 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	2015-16 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	क्षय
महाराष्ट्र	1,834	(28,029) *	29,863
उत्तर प्रदेश	(19,443)	(21,486)	2,043
पंजाब	(1,130)	(2,607)	1,477
आंध्र प्रदेश	(2,293)	(3,606)	1,313
कर्नाटक	241	(890)	1,131
झारखण्ड	(486)	(1,601)	1,115

* इसमें वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए पुन:मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर वसूला गया 27,588 करोड़ रुपये मूल्यह्रास शामिल है। यदि इस असाधारण मद को छोड़ दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए महाराष्ट्र के लिए प्राप्त राज सहायता आधार हानि 441 करोड़ रुपये होगी।

2015-16 में लाभ (प्राप्त राज सहायता आधार पर) के आधार टॉप पांच राज्य

रु. करोड़

दिल्ली	862
गुजरात	606
पश्चिम बंगाल	479
उत्तराखण्ड	156

मिजोरम	69

2015-16 में हानियों (प्राप्त राज सहायता आधार पर) के आधार पर बॉटम पांच राज्य

रु. करोड़

महाराष्ट्र	28,029
उत्तर प्रदेश	21,486
राजस्थान	12,120
तमिलनाडु	6,050
मध्य प्रदेश	5,392

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.3 लाभ/हानि (राज सहायता के बिना)

सभी यूटिलिटियों के लिए सकल हानियां (राज सहायता को खाते में लिए बिना) 2013-14 में 1,03,298 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-15 में 1,14,007 करोड़ रुपये हो गई और 2015-16 में ओर बढ़कर 1,47,298 करोड़ रुपये हो गई।

पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखण्ड और पुडुच्चेरी राज्यों ने 2015-16 में लाभ (राज सहायता के बिना) अर्जित किया है।

राज्य, जिन्होनें 2014-15 की तुलना में 2015-16 में प्राप्त राज सहायता के बिना हानि में पर्याप्त सुधार दर्शाया है, नीचे दिए गए हैं

रु. करोड़

राज्य	2014-15 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	2015-16 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	सुधार
तमिलनाडु	(19,823)	(13,745)	6,077
राजस्थान	(16,804)	(13,906)	2,898
केरल	(1,273)	(313)	960
छत्तीसगढ़	(1,705)	(880)	825

राज्य, जिन्होनें 2014-15 की तुलना में 2015-16 में प्राप्त राज सहायता के बिना लाभ/हानि की स्थिति खराब दर्शाई है, नीचे दिए गए हैं

रु. करोड़

राज्य	2014-15 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	2015-16 में प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)	क्षय
महाराष्ट्र	1,832	(28,031) *	29,863
कर्नाटक	(793)	(6,262)	5,469
उत्तर प्रदेश	(28,010)	(30,016)	2,005
पंजाब	(5,772)	(7,454)	1,682
बिहार	(3,858)	(5,454)	1,596
आंध्र प्रदेश	(5,266)	(6,792)	1,526
तेलंगाना	(6,022)	(7,174)	1,152
झारखण्ड	(2,592)	(3,201)	609

* इसमें वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए पुन:मूल्यांकित परिसंपत्तियों पर वसूला गया 27,588 करोड़ रुपये मूल्यह्रास शामिल है। यदि इस असाधारण मद को छोड़ दिया जाता है तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए महाराष्ट्र के लिए प्राप्त राज सहायता आधार हानि 443 करोड़ रुपये होगी।

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.4 उच्च हानि वाली यूटिलिटियों को छोड़कर क्षेत्र की लाभप्रदता

यदि हम स्टैंड एलोन आधार पर राज्य का चयन करने से संबंधित हानियो का विश्लेषण करते हैं तो क्षेत्र के समग्र निष्पादन के संबंध में एक बेहतर परिदृश्य प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार, यह देखा गया है कि एक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने अन्य की तुलना में प्रोद्भूत आधार पर हानियों का उच्च स्तर दर्ज किया है। इन पाँच राज्यों के लिए प्रोद्भूत आधार पर कुल हानियां 2015-16 में 72,871 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार, प्राप्त सब्सिडी आधार पर कुल हानियां 2015-16 में 73,076 करोड़ रुपये है। इन पाँच राज्यों में 2015-16 में राज्य विद्युत क्षेत्र की कुल हानियों (प्रोद्भूत आधार पर) कुल हानियों का 81% है।

रु. करोड़

	2013-14		2014-15		2015-16	
	पीएटी/ (हानि) प्रोद्भूत	पीएटी/ (हानि) प्राप्त राज	पीएटी / (हानि) प्रोद्भूत	पीएटी/ (हानि) प्राप्त राज	पीएटी/ (हानि) प्रोद्भूत	पीएटी/ (हानि) प्राप्त राज

	आधार पर	सहायता आधार पर	आधार पर	सहायता आधार पर	आधार पर	सहायता आधार पर
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को छोड़कर अखिल भारत	(14,514)	(14,735)	(14,878)	(16,883)	(16,733)	(18,936)
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश	(51,714)	(51,801)	(51,144)	(51,536)	(72,871)	(73,076)
कुल	**(66,228)**	**(66,536)**	**(66,022)**	**(68,419)**	**(89,604)**	**(92,012)**

(अनुबंध 1.5.1 से 1.5.3)

1.3.5 कुल राजस्व के अनुपात के रूप में लाभ

कुल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) के अनुपात के रूप में राज्यों के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्र पुडुच्चेरी में सभी यूटिलिटियों के लिए कुल बुक हानियों में 2013-14 में 18.62% से बढ़कर 2014-15 में 16.44% हो गई परंतु 2015-16 में यह बढ़कर 21.09% हो गई। इसी प्रकार, कुल राजस्व (सब्सिडी को छोड़कर) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त सब्सिडी आधार पर कुल हानियों में 2013-14 में 18.70% से सुधार होकर 2014-15 में 17.04% हो गई परंतु 2015-16 में यह बढ़कर 21.65% हो गई।

(अनुबंध 1.5.4 से 1.5.6)

1.4 बुक तथा प्राप्त सब्सिडी

अधिकांश वार्षिक लेखाओं में प्राप्त सब्सिडी से संबंधित सूचना उपलबध नहीं हैं और इस प्रकार यूटिलिटियों से पृथक रूप से प्राप्त की जाती है।

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों द्वारा बुक सब्सिडी 2013-14 में 37,052 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014-15 में 47,965 करोड़ रुपये हो गई और 2015-16 में बढ़कर 57,680 करोड़ रुपये हो गई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों द्वारा बुक सब्सिडी 2013-14 में 11.22% से बढ़कर 2014-15 में 12.90% हो गई तथा 2015-16 में और बढ़कर 14.70% हो गई। यूटिलिटियों द्वारा बुक सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार

द्वारा जारी सब्सिडी 2013-14 में 99.21%, 2014-15 में 95.04% तथा 2015-16 में 95.84% थी। त्रिपुरा (58%), असम (73%), पंजाब (84%), कर्नाटक (86%), तेलंगाना (93%) और उत्तर प्रदेश (98%) को छोड़कर सभी राज्यों ने अपनी सभी वितरण यूटिलिटियों द्वारा बुक लगभग संपूर्ण सब्सिडी जारी कर दी है।

(अनुबंध 1.4.1)

1.5 आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा औसत राजस्व (प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के आधार पर) के बीच अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)

आपूर्ति की औसत लागत 2013-14 में 5.19 रु./केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2014-15 में 5.21 रु./केडब्ल्यूएच हो गई तथा 2015-16 में और बढ़कर 5.43 रु./केडब्ल्यूएच हो गई।

औसत राजस्वत (बुक सब्सिडी को ध्यान में रखे बगैर) 2013-14 में 4.00 रु./केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2014-15 में 4.15 रु./केडब्ल्यूएच तथा 2015-16 में 4.23 रु./केडब्ल्यू एच हो गया। आपूर्ति की औसत लागत तथा सब्सिडी के बिना औसत राजस्व के बीच अंतर 2013-14 में बढ़कर 1.19 रु./केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2014-15 में 1.06 रु./केडब्ल्यूएच तथा 2015-16 में और बढ़कर 1.20 रु. केडब्ल्यूएच हो गया। बुक सब्सिडी आधार पर अंतर 2013-14 में 0.77 रु./केडब्ल्यूएच से घटकर 2014-15 में 0.56 रु./केडब्ल्यूएच हो गया परंतु 2015-16 में बढ़कर 0.63 रु./केडब्ल्यूएच हो गया। इसी प्रकार, प्राप्त सब्सिडी आधार पर अंतर 2013-14 में 0.78 रु./केडब्ल्यूएच से घटकर 2014-15 में 0.58 रु./केडब्ल्यूएच हो गया परंतु 2015-16 में बढ़कर 0.65 रु./केडब्ल्यूएच हो गया।

(अनुबंध 1.6.1 से 1.6.3)

क्षेत्रवार अंतर के संबंध में रूख निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

रु. /केडब्ल्यूएच

क्षेत्र	राज सहायता के बिना अंतर			बुक राज सहायता आधार पर अंतर			प्राप्त राज सहायता आधार पर अंतर		
	13-14	14-15	15-16	13-14	14-15	15-16	13-14	14-15	15-16
पूर्व	1.02	0.78	0.97	0.54	0.25	0.37	0.54	0.28	0.37

उत्तर पूर्व	1.72	1.44	1.09	1.54	1.13	0.59	1.67	1.15	0.66
उत्तर	1.84	1.47	1.42	1.29	0.78	0.73	1.29	0.83	0.77
दक्षिण	1.18	1.27	1.30	0.65	0.71	0.51	0.65	0.73	0.55
पश्चिम	0.46	0.46	0.95	0.32	0.25	0.71	0.32	0.25	0.71
राष्ट्रीय	**1.19**	**1.06**	**1.20**	**0.77**	**0.56**	**0.63**	**0.78**	**0.58**	**0.65**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों में यूटिलिटियों में 2015-16 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बुक सब्सिडी आधार पर कम अंतर है।

(अनुबंध 1.6.1 से 1.6.3)

1.6 व्यय का ब्यौरा

व्यय तथा लागत संरचना का ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध 1.7.1 से 1.7.3** और **अनुबंध 1.8.1 से 1.8.3** में दिया गया है।

अध्याय 2

वित्तीय स्थिति

2.0 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों की जाँच करने से संबंधित है।

2.1 पूंजी संरचना

क्षेत्र में नियोजित कुल पूंजी (विद्युत विभागों के लिए 2001-02 से पूर्व निवल मूल्य को छोड़कर) 31 मार्च, 2014 को 5,64,057 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 6,29,916 करोड़ रुपये तथा 31 मार्च, 2016 को 7,67,979 करोड़ रुपये हो गई।

(अनुबंध 2.1.0)

वित्तीय संस्थानों, बैंकों और बाजारों से ऋण क्षेत्र में नियोजित पूंजी का प्रमुख स्रोत बना रहा। कुल नियोजित पूंजी में इन ऋणों का शेयर 2014-15 में 96% से घटकर 2015-16 में 77% हो गया। राज्य सरकार ऋण, जो नियोजित पूंजी में दूसरा सबसे बड़ा घटक है, 2014-15 में 9% की तुलना में 2015-16 में लगभग 17% था। उदय के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ऋणों के लिए जाने के कारण 2014-15 की तुलना में 2015-16 में राज्य सरकार के ऋणों के हिस्से में वृद्धि हुई।

(अनुबंध 2.3.1 से 2.3.3)

2.2 इक्विटी और निवल मूल्य

क्षेत्र में कुल इक्विटी निवेश 31 मार्च, 2015 को 2,51,300 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 3,75,179 करोड़ रुपये हो गया जो 49% की वृद्धि है। उत्तर प्रदेश (यूपीजेवीएनएल को छोड़कर), राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबीपीडीसीएल), उत्तराखण्ड, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में यूटिलिटियों में पर्याप्त इक्विटी का निवेश हुआ है।

ट्रांसफर स्कीम में संशोधन के पश्चात् महाराष्ट्र की यूटिलिटियों की अचल परिसंपत्तियों के खाता मूल्य शेयर पूंजी में परिणामी वृद्धि बताई गई है। अतः, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में यूटिलिटियों की इक्विटी पूंजी 31 मार्च, 2015 को इक्विटी पूंजी की तुलना में काफी अधिक है।

31 मार्च, 2015 को संचित हानियां 4,07,271 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 4,85,922 करोड़ रुपये हो गई। 31 मार्च, 2016 को निवल मूल्य 63,154 करोड़ रुपये पर ऋणात्मक है।

(अनुबंध 2.2.2)

2.3 कुल बकाया ऋण

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए कुल बकाया ऋण 31 मार्च, 2015 को 4,03,816 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 4,21,978 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार से ऋण 31 मार्च, 2016 की स्थित के अनुसार कुल बकाया ऋण का लगभग 26% है।

सभी यूटिलिटियों के लिए कुल बकाया ऋण 31 मार्च, 2015 को 6,70,708 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 7,26,721 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार से ऋण 31 मार्च, 2016 को कुल बकाया ऋण का लगभग 18% है। राज्य सरकार से कुल बकाया ऋण 31 मार्च, 2015 को 57,137 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 1,31,568 करोड़ रुपये हो गया। बैंकों/वित्तीय संस्थानों, बॉण्ड एवं डिबेंचरों तथा अन्य ऋणों से कुल बकाया 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार यूटिलिटियों के कुल ऋण का 82% है। ये ऋण 31 मार्च, 2015 को 6,13,571 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2016 को 5,95,153 करोड़ रुपये हो गए।

(अनुबंध 2.4.1 और 2.4.2)

2.4 निवल अचल परिसंपत्तियां और पूंजी डब्ल्यूआईपी (सीडब्ल्यूआईपी)

निवल अचल परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2015 को 4,90,447 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 6,13,628 करोड़ रुपये हो गई। संविदाकारों को अग्रिमों सहित चल रहे पूंजीगत कार्य 31 मार्च, 2015 को 1,72,023 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 1,89,958 करोड़ रुपये हो गई।

(अनुबंध 2.5.0 और 2.6.2)

2.5 पूंजी व्यय

पूंजी व्यय 2014-15 86,007 करोड़ रुपये से बढ़कर 2015-16 में 1,02,256 करोड़ रुपये हो गया। राज्य, जिन्होंने 2014-15 की तुलना में 2015-16 में समग्र पूंजी व्यय में पर्याप्त् वृद्धि दर्शाई थी वे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तेलंगाना और कर्नाटक हैं।

(अनुबंध 2.7.1)

2.6 विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य

क्षेत्र उच्च स्तर के प्राप्यों की कठिनाइयां झेलता रहा।

उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य 31 मार्च, 2015 को 1,00,891 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 1,14,953 करोड़ रुपये हो गया। विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य (दिनों की संख्या) 31 मार्च, 2015 को बिक्री के 95 दिनों से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को बिक्री के 102 दिन हो गए।

(अनुबंध 2.8.1)

नीचे दी गई तालिका सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों की प्राप्य स्थिति दर्शाती है:

रेंज	यूटिलिटियों की संख्या	
	2014-15	2015-16
60 दिन से कम	18	19
60 और 90 दिन के बीच	5	8
90 दिन से अधिक	32	28

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम एचपीएसईबी लि., पीएसपीसीएल, केएसईबी लि., टैनजेडको, टीएसएसपीडीसीएल, यूटीपीसीएल और मिजोरम पीडी 60 दिन से कम का प्राप्य है।

सीईएसयू, जेएंडके पीडीडी, चेस्कॉम, हेस्कॉम, एमईपीडीसीएल, एमएसपीडीसीएल, अरुणाचल पीडी, सिक्किम पीडी, नागालैंड पीडी यूटिलिटयों और उत्तर प्रदेश में डिस्कॉमों (पश्चिमांचल वीवीएनएल को छोड़कर) 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 200 दिन बिक्री से अधिक का उच्च स्तर का प्राप्य है।

(अनुबंध 2.8.1)

जेनको, ट्रांसको और ट्रेडिंग कंपनियों के लिए विद्युत की बिक्री/पारेषण के प्राप्य के लिए ऋण 31 मार्च, 2015 को 95,889 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 1,05,703 करोड़ रुपये हो गया। विद्युत की बिक्री/पारेषण के लिए प्राप्य (दिनों की संख्या) 31 मार्च, 2015 को 175 दिनों से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 187 दिन हो गई। इन यूटिलिटियों में जेयूयूएनएल, एईजीसीएल, एमईपीजीसीएल, जेएंडके पीडीसीएल, आरआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, यूपीपीटीसीएल, यूजेवीएनएल, एपीजेनको, केपीसीएल, पुडुच्चेरी पीसीएल, टैनट्रांसको और दिल्ली, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र राज्यों में यूटिलिटियों का 31 मार्च, 2016 को 200 दिनों से अधिक की बिक्री का उच्च प्राप्य स्तर था।

(अनुबंध 2.8.2)

2.7 विद्युत की खरीद के लिए ऋणदाता

सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए देय 31 मार्च, 2015 को 1,25,784 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 1,36,451 करोड़ रुपये हो गया। विद्युत की खरीद के लिए ऋण 31 मार्च, 2015 को 120 दिनों की खरीद से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 124 हो गया।

(अनुबंध 2.9.1)

अध्याय 3

लाभप्रदता और पूंजी संरचना अनुपात का विश्लेषण

3.0 प्रस्तावना

इस अध्याय में लाभप्रदता, प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय लीवरेज का अनुपात प्रस्तुत किया गया है।

3.1 निवल मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्ल्यू)

6 यूटिलिटियों के लिए 2015-16 के दौरान निवल मूल्य पर प्रतिफल (बुक्ड सब्सिडी आधार पर पीएटी) 12% से अधिक था : टीएस जेनको, बेस्कॉम, दिल्ली ट्रांसको, यूटी ट्रांसको (पीटीसीयूएल), डब्ल्यूबीएसईटीसीएल और टीएस ट्रांसको।

नीचे दी गई तालिका में विगत दो वर्षों के दौरान आरओएनडब्ल्यू की रेंज तथा उसका वितरण दर्शाया गया है:

रेंज	यूटिलिटियों की संख्या	
	2014-15	2015-16
1% से कम	8	8
1% से 5%	15	20
5% से 12%	10	10
12% से अधिक	9	6
ऋणात्मक	58	56

(अनुबंध 3.1.0)

3.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

आरओसीई प्रतिफल जो कंपनी कुल नियोजित पूंजी पर सृजित करती है की इकाई है। अनुपात दक्षता को प्रदर्शित करता है जो सृजित राजस्व के लिए प्रयोग की गई पूंजी है।

विगत दो वर्षों के लिए आरओसीई की रेंज और इसके वितरण का सार नीचे दिया गया है:

आरओसीई की रेंज	यूटिलिटियों की संख्या	
	2014-15	2015-16
1% से कम	3	3

1% से 12%	45	53
12% से अधिक	9	7
ऋणात्मक	43	37

(अनुबंध 3.2.0)

3.3 ऋण इक्विटी अनुपात

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 64 यूटिलिटियों का धनात्मक निवल मूल्य था जबकि 37 यूटिलिटियों का ऋणात्मक निवल मूल्य था।

2015-16 के दौरान डी/ई अनुपात की रेंज निम्नलिखित है:

डी/ई रेंज	यूटिलिटियों की संख्या
1 से कम	23
1 से 2.33 के मध्य	26
2.33 से 3.5 के मध्य	6
3.5 से अधिक	10
ऋणात्मक	35

(अनुबंध 3.3.0)

अध्याय 4

वास्तविक प्राचल संबंधी निष्पादन

4.0 प्रस्तावना

31 मार्च, 2016 को 3,02,089 मेगावाट की तुलना में 31 मार्च, 2017 को देश की कुल संस्थापित क्षमता 3,26,849 मेगावाट थी। वर्तमान में संस्थापित क्षमता में राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 32%, केंद्रीय क्षेत्र के लिए लगभग 24% और निजी क्षेत्र के लिए लगभग 44% है। देश में निजी क्षेत्र उत्पादन का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा है।

(स्रोत:http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2017/installed_capacity-03.pdf)

4.1 संस्थापित क्षमता (मेगावाट)

इस रिपोर्ट में शामिल राज्य विद्युत यूटिलिटियों की कुल संस्थापित क्षमता 31 मार्च, 2016 को 88,468 मेगावाट थी जो विगत वर्ष की तुलना में 3.12% की वृद्धि है। टीएस जेनको, एमएसपीजीसीएल, आरआरवीयूएनएल, सीएसपीजीसीएल, जीएसईसीएल और जेकेपीडीसीएल में 2015-16 के दौरान मुख्य क्षमता अभिवृद्धि हुई। कुल संस्थापित क्षमता में ताप, हाइडल और गैस क्षमता क्रमश: 62%, 30% और 6% है।

(अनुबंध 4.1.0, 4.1.1 से 4.1.3)

4.2 उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच)

उत्पादन 2014-15 में 3,70,617 एमकेडब्ल्यूएच से 7% घटकर 2015-16 में 3,45,236 एमकेडब्ल्यूएच हो गया। थर्मल उत्पादन 2015-16 में कुल उत्पादन का 77%, हाइडल उत्पादन 17% और गैस आधारित उत्पादन 4% है।

टीवीएनएल, ओपीजीसीएल, सिक्किम पीडी, एमईपीजीसीएल, यूजेवीएनएल और पुडुच्चेरी पीसीएल ने 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान कुल उत्पादन में 10% अथवा अधिक की वृद्धि दर्शाई है।

(अनुबंध 4.2.0, 4.2.1 से 4.2.3)

हाइडल उत्पादन 2014-15 में 72,910 एमकेडब्ल्यू एच से 18% घटकर 2015-16 में 59,606 एमकेडब्ल्यूएच हो गया।

2014-15 में 2,78,901 एमकेडब्ल्यूएच की तुलना में 2015-16 के दौरान थर्मल उत्पादन 2,66,979 एमकेडब्ल्यूएच हो गया। यूटिलिटियों, जिन्होंने थर्मल उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि दर्शाई है, वे टीवीएनएल, ओपीजीसीएल और एमपीपीजीसीएल हैं।

(अनुबंध 4.2.1 से 4.2.3)

4.3 विद्युत की खरीद (एमकेडब्ल्यूएच)

सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटियों द्वारा खरीदी गई विद्युत की मात्रा 2014-15 में 9,04,495 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर 2015-16 में 9,46,367 एमकेडब्ल्यूएच हो गई जो 4.63% की वृद्धि है।

(अनुबंध 4.5.0)

4.4 विद्युत की बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच)

सीधे उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटियों द्वारा विद्युत की बिक्री (एमकेडब्ल्यूएच) 2014-15 में 7,53,436 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर 2015-16 में 7,89,512 एमकेडब्ल्यूएच हो गई जो 4.79% की वृद्धि है।

(अनुबंध 4.6.0)

4.5 सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (एटीएंडसी हानि)

एटीएंडसी हानि की गणना के लिए पद्धति सीईए के परामर्श से तैयार की गई है। एटीएंडसी हानि बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा (पारेषण हानियों और ऊर्जा में व्यापार के लिए समायोजित) (एमकेडब्ल्यूएच) और प्राप्त ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) के अंतर को दर्शाती है और तदनुसार रिपोर्ट में यूटिलिटियों के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण प्राचल के रूप में अपनाया गया है। प्राप्त ऊर्जा बिल की गई ऊर्जा (ऊर्जा में व्यापार के लिए समायोजित) (एमकेडब्ल्यूएच) वसूली दक्षता का कारक है। वसूली दक्षता बिलों की वसूली में दक्षता का इंडेक्स - चालू के साथ-साथ पिछले वर्षों के लिए भी और प्राप्यों के वर्ष-दर-वर्ष मूवमेंट पर अनिवार्य रूप से केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2015-16, जहाँ सब्सिडी राजस्व में पृथक रूप से नहीं दर्शाई गई है, वसूली दक्षता की गणना करते समय सरकार से प्राप्य सब्सिडी को छोड़कर विद्युत की बिक्री के लिए ऋण हेतु समायोजित नहीं की गई है।

यह नोट किया जा सकता है कि सभी राज्यों में अब भी बहुत से उपभोक्ता बिना मीटर के हैं और एटीएंडसी हानियों की गणना के लिए काफी सूचना वार्षिक लेखाओं में उपलब्ध नहीं हैं। सूचना यूटिलिटियों से प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार, एटीएंडसी हानियों से संबंधित सूचना का प्रयोग करते समय अपेक्षित ध्यान रखने की जरूरत होगी।

4.5.1 एटीएंडसी हानियां

राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए औसत एटीएंडसी हानियां (%) 2014-15 में 25.72% से घटकर 2015-16 में 23.98% हो गई। समग्र वसूली दक्षता 2014-15 में 94.00% से बढ़कर 2015-16 में 95.44% हो गई।

2014-15 और 2015-16 के लिए सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटियों के लिए क्षेत्रवार औसत एटीएंडसी हानियां नीचे दी गई हैं:

%

क्षेत्र	2014-15	2015-16
पूर्वी	39.51	36.88
उत्तर पूर्वी	35.62	35.06
उत्तरी	31.49	27.31
दक्षिणी	18.19	16.24
पश्चिमी	21.53	22.99
औसत राष्ट्रीय	**25.72**	**23.98**

दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों ने 2015-16 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम एटीएंडसी हानि हासिल की हैं।

(अनुबंध 4.7.1 से 4.7.3)

राज्य, जिन्होंने 2014-15 की तुलना में 2015-16 में एटीएंडसी हानियों में सुधार दर्शाया है, नीचे दिए गए हैं:

कमी	राज्यों की संख्या	राज्य का नाम
0-2 %	10	हरियाणा, बिहार, दिल्ली, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, केरल और राजस्थान
2-4 %	3	जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश

4% से अधिक	8	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश

राज्य, जिन्होंने 2014-15 की तुलना में 2015-16 में एटीएंडसी हानियों की स्थिति खराब दर्शाई है, नीचे दिए गए हैं:

वृद्धि	राज्यों की संख्या	राज्य का नाम
0-2 %	4	तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और पंजाब
2-4 %	4	महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और मणिपुर
4% से अधिक	2	पुडुच्चेरी और मेघालय

(अनुबंध 4.7.1 to 4.7.3)

अध्याय 5

खपत पैटर्न और राजस्व के लिए योगदान का विश्लेषण

5.0 प्रस्तावना

इस अध्याय में एमकेडब्ल्यूएच और रुपये की दृष्टि से उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की बिक्री का विस्तृत विश्लेषण, कुल बिक्री में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों का हिस्सा, उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व आदि शामिल है।

यह नोट किया जा सकता है कि सभी राज्यों में अब भी कई श्रेणियों के उपभोक्ता बिना मीटर के हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मामलों में सूचना वार्षिक लेखों में उपलब्ध नहीं हैं और यूटिलिटियों से प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार, इस अध्याय में सूचना का प्रयोग करते समय और तालिकाओं में संदर्भित करते समय विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी।

5.1 विद्युत की बिक्री

सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली सभी यूटिलिटियों द्वारा बेची गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) 2014-15 में 7,53,436 एमकेडब्ल्यूएच से बढ़कर 2015-16 में 7,89,512 एमकेडब्ल्यूएच हो गई जो 4.79% की रिकॉर्ड वृद्धि है।

ऊपर दर्शाए अनुसार बेची गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) में 4.79% की वृद्धि हुई है जबकि विद्युत की बिक्री से राजस्व 2014-15 में 3,71,959 करोड़ रुपये से 5.49% की उच्च दर से बढ़कर 2015-16 में 3,92,398 करोड़ रुपये हो गया जो राजस्व की बेहतर वसूली दर्शाता है।

(**अनुबंध 1.1.0**)

निम्नलिखित सेक्शनों में बिक्री के विभिन्न प्राचलों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

5.2 विश्लेषण में कवरेज

निम्नलिखित यूटिलिटियों को छोड़कर 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए सभी यूटिलिटियों के लिए बेची गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) और विद्युत की बिक्री से राजस्व (करोड़ रुपये) का उपभोक्ता श्रेणीवार ब्यौरा उपलब्ध है:

- टीएसईसीएल – 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए श्रेणीवार राजस्व (करोड़ रुपये) का ब्यौरा

5.3 कृषि उपभोक्ताओं को बिक्री

कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री का हिस्सा 2015-16 में बेची गई कुल ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) का लगभग 22% था। कुल राजस्व में कृषि उपभोक्ताओं से राजस्व का हिस्सा 2015-16 में लगभग 8% था।

(अनुबंध 5.5.1 और 5.6.1)

5.4 औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री

2015-16 में कुल बेची गई ऊर्जा में औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेची गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) का हिस्सा लगभग 28% था। कुल राजस्व में औद्योगिक उपभोक्ताओं से राजस्व का हिस्सा 2015-16 में लगभग 41% था।

(अनुबंध 5.5.1 और 5.6.1)

5.5 क्रॉस सब्सिडी

2015-16 में अधिक कृषि खपत वाली यूटिलिटियों के लिए क्रॉस सब्सिडी का स्तर औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्राप्त राजस्व की तुलना में बेची गई ऊर्जा की मात्रा के एक तुलनात्मक विश्लेषण के रूप में उभरकर आया है।

राज्य	कृषि (कुल विद्युत बिक्री % – एमकेडब्ल्यूएच)	कृषि (कुल राजस्व % रु. करोड़	औद्योगिक (कुल विद्युत बिक्री % – एमकेडब्ल्यूएच)	औद्योगिक (कुल राजस्व % रु. करोड़)
हरियाणा	26%	2%	28%	37%
कर्नाटक	38%	7%	19%	31%
राजस्थान	42%	38%	21%	26%
पंजाब	28%	-	31%	49%
आंध्र प्रदेश	25%	2%	34%	53%
महाराष्ट्र	29%	15%	29%	38%
गुजरात	27%	13%	50%	66%
तमिलनाडु	17%	-	27%	53%
मध्य प्रदेश	41%	11%	21%	37%
उत्तर प्रदेश	14%	4%	20%	38%

तेलंगाना	29%	3%	28%	46%

उपरोक्त तालिका कृषि उपभोक्ताओं के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं से क्रॉस सब्सिडी के स्तर को दर्शाती है।

5.6 उपभोक्ता श्रेणीवार ब्यौरा:

उपभोक्ता श्रेणीवार बेची गई ऊर्जा (एमकेडब्ल्यूएच) और राजस्व (करोड़ रुपये) के ब्यौरे के लिए **अनुबंध 5.2.1 से 5.2.9** देखें।

बेची गई कुल ऊर्जा/ऊर्जा राजस्व (एमकेडब्ल्यू और रुपये की दृष्टि से) में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिशत हिस्सा **अनुबंध 5.3.1 से 5.3.6** में है।